UPSR010009372016

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008

सत्र परीक्षण सं०–152/2016

राज्य **.........अभियोगी**

बनाम

1. **ननकू प्रसाद वर्मा** उर्फ **ओम प्रकाश** उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र स्व० गोकुल प्रसाद,
2. **छोटकू प्रसाद वर्मा** उर्फ **विजय कुमार** उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र कमरू उर्फ चेतराम,
निवासीगण कस्बा गिलौला, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती।

.........अभियुक्तगण

मुकदमा अ०सं०–884/2014
धारा–307/34, 452 भा०दं०सं०
थाना–गिलौला, जनपद श्रावस्ती

निर्णय

1– अभियुक्तगण **ननकू प्रसाद वर्मा** उर्फ **ओम प्रकाश** व **छोटकू प्रसाद वर्मा** उर्फ **विजय कुमार** का परीक्षण पुलिस थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती द्वारा प्रेषित आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 307, 452 भा०द०सं० के आधार पर किया गया। अभियुक्तगण का केस सम्बन्धित मजिस्ट्रेट श्रावस्ती के न्यायालय द्वारा सत्र के सुपुर्द किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा चन्दा देवी पत्नी अनिल कुमार निवासिनी कस्बा गिलौला, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती ने थानाध्यक्ष थाना गिलौला को दिनांक 04.05.2014 को इस आशय की लिखित तहरीर दी कि वह दिनांक 03/04.05.2014 को अपने पति व बच्चों के साथ रात में छत पर सोई हुई थी कि उसी रात उसके घर की बाउन्ड्री का ताला तोड़कर विपक्षीगण ननकू प्रसाद वर्मा व छोटकू प्रसाद वर्मा जो कि घर के अन्दर घुसकर घात लगाकर बैठे थे, ने उसके पति अनिल कुमार पुत्र केशरी कुमार के जागकर नीचे जाने पर फायर कर दिया और गोली उसके पति के लगी और वह विक्षिप्त हो कर गिर पड़े। वह सूचना को आई है। वादिनी मुकदमा द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

3– वादिनी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती में प्रश्नगत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 04.05.2014 को समय 03.50 बजे दिन में अपराध संख्या 884/2014, धारा 307, 452 भा०द०सं० के अपराध के सम्बन्ध में प्राथमिकी

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.04.08 15:31:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पंजीकृत की गयी। जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित कायमी मुकदमा जी0 डी0 में की गयी।

4– सम्बन्धित विवेचनाधिकारी द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा सम्बन्धित विवेचनाधिकारी ने आवश्यक अभियोजन साक्षीगण के बयान अंकित किये गये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया एवं मामले से सम्बन्धित आवश्यक विवेचना सम्पादित कर उपरोक्त अभियुक्तगण ननकू प्रसाद वर्मा एवं छोटकू प्रसाद वर्मा के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 307, 452 भा०द०सं० सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया।

5– आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान की गयी।

6– इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.2016 को अभियुक्तगण ननकू प्रसाद वर्मा व छोटकू प्रसाद वर्मा के विरुद्ध धारा 307/34, 452 भा०द०सं० का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को, मौखिक साक्ष्य में न्यायालय में परीक्षित कराया गयाः–

1. पी0 डब्लू0–1 चन्दा देवी (साक्षी मूल तहरीर वादी प्रदर्श क–1, साक्षी बयान 164 C.r.p.c. प्रदर्श क–2)
2. पी0 डब्लू0–2 अनिल कुमार मिश्र (साक्षी कब्जा फर्द खूनालूद गमछा प्रदर्श क–3, साक्षी बयान 164 C.r.p.c. प्रदर्श क–4)
3. पी0 डब्लू0–3 माधुरी देवी (साक्षी बयान 164 C.r.p.c. प्रदर्श क–4)
4. पी0 डब्लू0–4 डॉ० मुकेश मातनहेलिया (साक्षी डाक्टरी रिपोर्ट प्रदर्श क–6)
5. पी0 डब्लू0–5 धर्मेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू यादव पाठक (साक्षी बयान 164 C.r.p.c. प्रदर्श क–4)
6. पी0 डब्लू0–6 कमला प्रसाद वर्मा
7. पी0 डब्लू0–7 डॉ० राम गोपाल (साक्षी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–5, डाक्टरी रिपोर्ट द्वारा मेडिकल बोर्ड प्रदर्श क–6, एक्स रे–रिपोर्ट प्रदर्श क–7 एवं वस्तु प्रदर्श 1, 2, 3, 4, 5 व 6)
8. पी0 डब्लू0–8 से०नि० HCP मेवालाल (साक्षी चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क–8 एवं कायमी जी०डी० प्रदर्श क–9)
9. पी0 डब्लू0–9 निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह (साक्षी नक्शा नजरी प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क–13)

8– अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अलावा, अन्य किसी साक्षी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।

9– अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत एवं झूठा बताया गया, तथा मुकदमा रंजिशन गलत व झूठा

चलाना बताते हुए, साक्षीगण द्वारा गलत एवं झूठा कथन किया जाना कहा गया है तथा स्वयं को निर्दोष होना भी कहा गया है। अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि वादीगण ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे जिसका प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा विरोध किया जिसके कारण वादिनी द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया।

10– अभियोजन पक्ष की तरफ से उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी से अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पति पर हत्या की नियत से फायर आर्म से फायर किया जाना एवं चोटें पहुंचाया जाना युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध है, ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष की तरफ से, अभियुक्तगण को प्रश्नगत आरोपित आरोपों में, दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किये जाने का कथन किया गया है।

11– अभियुक्तगण की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए, दौरान बहस, मुख्य रूप से इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को रंजिशन गलत एवं झूठा फंसाया गया है। तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम विवेचक एवं द्वितीय विवेचक द्वारा मामले को झूठा पाते हुए अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी थी तथा तथाकथित रूप से अंतिम विवेचक द्वारा मामले की सम्यक विवेचना किए बिना वादी मुकदमा के दबाव में झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं और साक्षी पी०डब्लू० 3 माधुरी जो कि तथाकथित चोटहिल अनिल मिश्रा की भाभी हैं एवं साक्षी पी०डब्लू० 5 धर्मेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पाठक जो कि तथाकथित चोटहिल अनिल मिश्रा के भाई हैं के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में मौके के किसी स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी को पेश नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षीगण के कथन स्वाभाविक एवं नैसर्गिक नहीं हैं तथा अभियोजन की ओर से दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथाकथित अंगौछे को घटना के दो वर्ष बाद विवेचक को प्रदान किए जाने का कथन किया गया है परन्तु उक्त के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट अभियोजन द्वारा न तो दाखिल की गई है और न तो साबित की गई है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथाकथि उपहति आख्या एवं एक्स–रे रिपोर्ट से भी चोटहिल अनिल मिश्रा के शरीर पर फायर आर्म की चोटें पाया जाना साबित नहीं है। तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध गलत बयान दिए गए हैं तथा उन्हें जमीनी विवाद के कारणों से रंजिशन फंसाया गया है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादीगण ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे जिसका प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा विरोध किया जिसके कारण वादिनी द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में समस्त अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी एवं अभियुक्त पर लगाये गये प्रश्नगत सभी

आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध नहीं हैं और अभियुक्तगण प्रश्नगत आरोपित आरोपों में दोषमुक्त होने योग्य हैं।

12– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

13– प्रस्तुत मामले में अवधारण प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को, पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त सन्देह से परे, सिद्ध कर सका है?

14क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–1 **चन्दा देवी** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना 3/4 मई 2014 की रात ढ़ाई बजे की है। प्रति दिन की भांति वह उसके पति व उसका बच्चा खा पीकर तख्त पर लेट गया था। रात में ढ़ाई बजे उसके पति कमरे से निकलकर आंगन में टायलेट करने गये थे। उसके घर की बाउंड्री ईंट की दीवाल की बनी है। छोटकू वर्मा व ननकू वर्मा बाउन्ड्री फांदकर अन्दर आए थे फिर घर के निकास का ताला जो दरवाजा में लगा था उसे तोड़े थे। उसके पति निकले ही थे कि ननकू ने छोटकू से कहा कि मार–मार। उसके पति चिल्लाकर वापस कमरे में भागे तब तक जान से मारने की नियत से छोटकू ने एक फायर कर दिया। यह गोली उसके पति के बायें हाथ के ऊपर लगी। उसके पति भागते आए कमरे के अन्दर पहुँच गए तब वह व उसके पति दोनों ने मिलकर अपने दोनों हाथों से दरवाजा बन्द कर दबाये रखे। जब उन लोगों ने दूसरा फायर किया तो वह फायर दरवाजा में लगा। दरवाजा की लकड़ी में कटकर सुराख हो गया था। उसके घर में बिजली जल रही थी। बिजली की रोशनी में उसने दोनों मुल्जिम को देखा था। इस घटना से पहले से ही वह उन दोनों मुल्जिमों को जानती थी। गोली की आवाज सुनकर ऊपर छत पर सो रहे उसके जेठ–जेठानी व उनके बच्चे व मुहल्ले के भी और लोग मौके पर आ गए। इन लोगों ने घटना देखी है। घायल पति को उसके जेठ–जेठानी, योगेन्द्र प्रसाद वर्मा व वह स्वयं अस्पताल लेकर गई थी। उसके पति का दवा इलाज हुआ फिर वहाँ से भिनगा अस्पताल रेफर कर दिया फिर उसने प्राइवेट डाक्टरी Dr. R. B. Singh बहराइच व इकौना में भी प्राइवेट दवा इलाज करायी। उसने एक व्यक्ति से प्रार्थना पत्र लिखवाकर थाने में दिया था। जो उसने बोला था वही उसने लिखा था। तहरीर लेखक ने न तो तहरीर पढ़कर उसे सुनाया था और न ही उसने पढ़ा था केवल हस्ताक्षर बनाकर तहरीर थाने पर दिया था। कागज सं०–ए4/2 तहरीर पर बना हस्ताक्षर उसका है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था व कलम बन्द बयान भी न्यायालय पर उसका हुआ था। उसके पति का खून लगा अंगोछा पुलिस ने कब्जे में लिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 164 (5) सी०आर०पी०सी० पढ़कर सुनाया गया व दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि इस पर उसका फोटो लगा है तथा इस पर उसका हस्ताक्षर बना है। यह बयान उसने न्यायालय पर मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। उसके पति के ऊपर फायर करते छोटकू वर्मा को उसने देखा था। बन्दूक

छोटा सा था। छोटकू व ननकू आए दिन उसे व उसके परिवार को तंग परेशान करते रहते हैं। इस मुकदमें के बाद ननकू आदि ने उसके पति को हरिजन एक्ट के मुकदमें में फर्जी फंसा दिया। हरिजन एक्ट वाले मुकदमें में इन लोगों ने DIG के यहाँ प्रार्थनापत्र दिया है। इस मुकदमें के बाद उसके पति ने ननकू व छोटकू के विरुद्ध तीन मुकदमा और लिखाया है। यह सब मुकदमें अलग कारण से लिखाया है। बयान 164 सी०आर०पी०सी० देखकर बताया कि यही बयान उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। उसे घर से मिला डेढ़ बीघा जमीन बटवारे के रूप में उसे मिला था जिसमें अपने घर का गन्दा पानी व अभियुक्त ननकू भी अपने घर का पानी गिराते थे। उसके इसी खेत में अभियुक्तगण अपना पानी गिराना चाहते हैं। व वह लोग गिराने नहीं देना चाहते इसीलिए अभियुक्तगण रंजिश मानते हैं। इसी रंजिश से अभियुक्त छोटकू ने यह घटना कारित किया। घटना के सम्बन्ध में दरोगा साहब ने उसका बयान लिया था।

14 ख– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि वह बी०ए० तक पढ़ी–लिखी है। चोटहिल को गोली लगने के बाद चोटहिल बेहोश नहीं हुए थे। गोली लगने के दस–पन्द्रह मिनट तक वह वहीं रही थी, फिर उन्हें अस्पताल लेकर चले गए थे। मोटर साइकिल से लेकर अस्पताल गए थे। उस मोटर साइकिल का नम्बर वह नहीं जानती। वह मोटर साइकिल योगेन्द्र प्रसाद वर्मा की थी। अभियुक्त ननकु उर्फ ओमप्रकाश तथा योगेन्द्र प्रसादन वर्मा सगे भाई हैं। चोटहिल को लेकर सर्वप्रथम वह अस्पताल गई थी। वह उन्हें लेकर अस्पताल कितने बजे पहुँची थी, समय उसे याद नहीं है। अस्पताल में डाक्टरी परीक्षण होने में पन्द्रह–बीस मिनट लगे होंगे। उसके साथ उसके जेठ धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, जेठानी माधुरी देवी, जेठ–जेठानी के तीन बच्चे व योगेन्द्र प्रसाद वर्मा व उनके लड़के कमला प्रसाद वर्मा अस्पताल गए थे। अस्पताल के बाद वह लोग थाने पर गए थे। प्रथम सूचना की तहरीर उसने नहीं लिखी थी, किसी व्यक्ति से लिखाई थी। उस व्यक्ति का नाम वह नहीं जानती है लेकिन उसे पहचानती है। वह थाने के पास रहता है। तहरीर उसने सच बात की लिखाई थी। वह हिन्दी पढ़ लेती है। साक्षी को कागज सं० ए4/2 दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तथा पूछा गया तो साक्षी ने कहा कि तहरीर में जो लिखा है कि वह अपने परिवार बच्चों सहित घर के छत पर सोई हुई थी, वह बात गलत लिखी है। उसने ऐसा नहीं लिखाया था। फिर कहा कि तहरीर में क्या लिखा था, ना उसने पढ़ा था और न उसे पढ़कर सुनाया गया था। उसने केवल दस्तखत कर दिया था और वह भिनगा अस्पताल चली गयी थी। वह भिनगा अस्पताल अपने पति के साथ कितने बजे पहुँची थी, समय वह नहीं बता सकती। उसके सामने उसके पति को गोली बारी गयी थी। एक व्यक्ति ने गोली मारी थी। उसके सामने एक गोली मारी थी जो बायें हाथ पर कंधे के नीचे लगी थी। उसने दरवाजे अंदर से बंद कर लिया था। दूसरी गोली कमरे के दरवाजे पर लगी थी। उसके पति को एक गोली लगी थी। गोली पीछे से खदेड़ कर मारी थी। उसने छोटकू वर्मा के हाथ में असलहा देखा था, ननकू वर्मा के हाथ में असलहा नहीं देखा था। असलहा छोटा था। दो–तीन कदम की दूरी से उसके पति को गोली मारी थी। अभियुक्तगण उसके घर में पूरब दिशा से आए थे। उसके

घर के चारों ओर बाउन्ड्री वाल है। बाउन्ड्री वाल में प्रवेश के लिए दरवाजा लगा है। रात में सोने के समय दरवाजे में ताला लगाकर सोती है। दरवाजा का ताला टूटा हुआ था, गेट खुला हुआ था। घटना स्थल पर उसके पति को गोली लगने पर काफी खून गिरा था। विवेचक जब घटनास्थल पर आए थे, तब उससे पूछताछ किया था। उसने दरोगा जी को ताला दिखाया नहीं था, तोड़े जाने की बात उन्हें बताई थी। दारोगाजी ने उससे टूटा हुआ ताला नहीं मांगा था। जहाँ काफी खून गिरा था, वह स्थान उसने दरोगाजी को दिखाया था। दरोगाजी टूटा हुआ ताला नहीं ले गए थे, इस सम्बन्ध में उसने कोई शिकायत उच्चाधिकारियों को नहीं की थी। विवेचक ने उसका बयान किस किस स्थान पर लिया था, यह उसे नहीं ध्यान है। उसने विवेचक को अपनी स्वेच्छा से बयान दिया था, किसी के दवाब में बयान नहीं दिया था। सर्वप्रथम उसके पति की चोटों का जब डाक्टरी परीक्षण हुआ था, उससे वह संतुष्ट थी। उसकी जानकारी में उसके पति के शरीर पर आई चोटों की डाक्टरी पहले भिनगा में, फिर DIG के आदेश पर हुई फिर लखनऊ में हुई थी। घटना की रात में उसके घर पर कोई कार्यक्रम नहीं था। अभियुक्त ननकू प्रसाद वर्मा व योगेन्द्र के बीच कोई दीवानी का मुकदमा चल रहा है या नहीं, वह नहीं जानती। पहली बार जो विवेचना हुई थी, वह उससे संतुष्ट नहीं थी। दूसरी बार जब विवेचना हुई तब भी वह संतुष्ट नहीं थी। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे लेकर चार लोगों का बयान दर्ज हुआ था। उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच्चाई बताई थी। घटना की रात जब उसके पति पेशाब करने गए थे, तब वह उनके साथ नहीं गई थी। जब दूसरा फायर किया था तब उस समय उसने व उसके पति ने अंदर से दरवाजा बंद किया था। जिस दरवाजे पर गोली लगी थी उस पर आज भी खून के निशान दिखाए थे या नहीं, उसे याद नहीं है। घटना की रात उसके पति हाफ लोवर और हाफ टीशर्ट पहने हुए थे। गोली लगने से उसके पति की टीशर्ट में भी छेद हुआ था। दरोगाजी ने न तो शर्ट देखी थी और न उसने दिखाई थी। उसे याद नहीं है कि घटना के कितने दिन बाद उसके पति ने खून लगा गमछा दरोगा को दिया था। इस मुकदमें में उसके पति भी गवाह हैं। उसके पति हाजिर अदालत हैं, उसके पीछे खड़ें हैं। उसने विवेचक को खून लगी टीशर्ट नहीं दिया था। घटना के समय वह कमरे के अंदर सो रही थी। उस कमरे का दरवाजा खुला था। उसे इस वक्त याद नहीं है कि वह घटना वाली रात क्या कपड़े पहने हुई थी। फायरिंग उसके सामने हुई थी। अपने पति की डाक्टरी करवाने वह साथ में लखनऊ नहीं गई थी। दरोगा जी गए थे। भिनगा अस्पताल में जब उसके पति की डाक्टरी हुई थी, तब वह साथ थी। डाक्टर साहब ने सबको हटा दिया था, तब उसके पति की चोटों की डाक्टरी की थी। वह घटना स्थल की चौहद्दी बता सकती है। घटनास्थल के पूरब आंगन व कमरा है। आंगन व बरामदा मिला हुआ है। वह अपने घर की चौहद्दी बता सकती है। उसके घर के पूरब तरफ खड़ंजा रास्ता है। खड़ंजा के पूरब–उत्तर पीपल का पेड़ व चबूतरा है। चबूतरा से दक्षिण सरकारी हैण्डपम्प लगा है। चबूतरा के उत्तर ग्राम समाज की खाली जगह पड़ी है। पीपल के पेड़ के पूरब उसका खेत है। ग्राम समाज की जमीन पर ननकू वर्मा का मकान बना है। फायर की आवाज सुनकर उसके जेठ–जेठानी उनके बच्चे, व योगन्द्र वर्मा थे, और आस

पड़ोस के लोगों का नाम वह नहीं जानती। ननकू के मकान के पश्चिम मनोरथ कोरी का मकान है। उसके मकान के उत्तर तरफ बाद गली भगतराम वर्मा का मकान है। भगतराम वर्मा व ननकू सगे भाई हैं। उसके जेठ धर्मेन्द्र मिश्र के मकान के दक्षिण समय प्रसाद वर्मा का मकान है। फिर कहा कि आधा वर्मा की बाउण्ड्री वाली जमीन है उसके बाद समय प्रसाद वर्मा का मकान है। प्रथम विवेचक उसके आस–पड़ोस के लोगों का बयान लेने गए थे या नहीं, वह नहीं जानती। मनोरथ कोरी की पत्नी शांति देवी को वह जानती है। शांति देवी ने उसके पति, उसके जेठ व योगेन्द्र वर्मा व उनके लड़के कमला वर्मा के विरुद्ध छेड़छाड़ व हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया था। छेड़छाड़ वाले मुकदमें में ननकू वर्मा के भाई गवाह हैं। अभियुक्त छोटकू वर्मा के सगे भाई राकेश कुमार वर्मा छेड़खानी वाले मुकदमें में गवाह है या नहीं वह नहीं जानती। वह छेड़छाड़ व हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा इसी न्यायालय पर विचाराधीन है। इस मुकदमें में उसके पति मुल्जिम हैं। उसने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 सी०आर०पी०सी० में बताया था कि उसके पति के विरुद्ध हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा DIG के आदेश से खत्म हो या था, लेकिन वह मुकदमा खत्म नहीं हुआ था, इसी न्यायालय पर विचाराधीन है। दरोगाजी ने कहा था कि उसका भी मुकदमा खत्म हो गया और हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा भी खत्म हो गया था। यह कहना गलत है कि मनोरथ कोरी की पत्नी शांति देवी ने उसके मुकदमें में झूठी गवाही नहीं दी थी इसलिए उसके पति उसके जेठ ने शांति देवी की लड़की से छेड़छाड़ की थी। यह कहना गलत है कि उसके पति ने फर्जी खून लगा गमछा दरोगाजी को दिया था। यह कहना गलत है कि वह घटना के समय मौजूद नहीं थी और न ही उसने गोली मारते देखा था। यह कहना गलत है कि ननकू वर्मा के सामने पड़ी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के लिए दबाव बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा लिखाया गया है।

15 क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–2 **अनिल कुमार मिश्र** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना तीन–चार मई सन् 2014 के रात ढाई तीन बजे की है। वह रोज की भांति खा–पीकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में लेटा था। वह ढाई–तीन बजे रात में पेशाब करने उठा था, ज्यों ही वह बरामदे में पहुँचा तो बल्ब की रोशनी में उसने देखा कि गेट के पास आंगन में छोटकू प्रसाद व ननकू प्रसाद खड़े थे। गेट खुला था, ताला टूटा था। उसने छोटकू से कहा कि वह उसके आंगन में क्या कर रहा है। तब ननकू ने छोटकू से कहा कि इसको गोली मारो तब छोटकू ने अपने हाथ में लिए बंदूक से फायर किया, वह भागा तो गोली उसके बायें हाथ में कंधे पर लगी। कमरे के दरवाजे के सामने बरामदे में गोली उसे लगी थी। वह भागकर कमरे के अंदर घुस गया। दूसरी गोली दरवाजे के पल्ले पर लगी थी, तब वह कमरे के अंदर था। दरवाजा बंद कर लिया था। खून के निशान दरवाजे के पल्ले में आज भी लगे हैं। वह टीशर्ट पहने था। खून काफी गिरा था। टीशर्ट पर काफी खून लगा था। उसके हल्ला गोहार पर पप्पू मिश्र, माधुरी देवी, शिवम मिश्र, सोनी मिश्र, योगेन्द्र प्रसाद वर्मा, कमला प्रसाद वर्मा व अन्य तमाम लोग मौके पर आ गए थे, तब तक मुल्जिमान भाग गए थे।

उसकी पत्नी चन्दा देवी ने घटना की सूचना थाने पर दिया था। उनकी सूचना पर एफ०आई०आर० लिखी गई थी। उसे घर से पहले सी०एच०सी० गिलौला ले गए थे। उसकी पत्नी चन्दा देवी, उसके भाई, भाभी, योगेन्द्र प्रसाद वर्मा व कमला प्रसाद वर्मा मोटर साइकिल से अस्पताल ले गए थे। उसके बाद थाना गिलौला ले गए थे। थाने से पुलिस के साथ उसे फिर सी०एच०सी० गिलौला लाया गया। वहाँ से एम्बुलेंस से उसे भिनगा लाए थे। भिनगा अस्पताल में उसकी डाक्टरी हुई थी। करीब 6–7 दिन बाद भिनगा अस्पताल में उसका एक्स–रे हुआ था। उसे मेडिकल कालेज ले जाया गया था। वहाँ एम०आर०आई० तथा डिजिटल एक्स–रे हुआ था। भिनगा अस्पताल में कई डाक्टरों की टीम ने उसका मेडिकल किया था। खून से सना गमछा दरोगाजी ने उससे लिया था और लिखा पढ़ी करने के बाद उससे दस्तखत बनवाया था। कागज सं० ए8/1 पर उसका हस्ताक्षर बना है। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। दरोगाजी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया था और उसका बयान लिया था। न्यायालय पर उसका बयान अन्तर्गत धारा 164 सी०आर०पी०सी० अंकित किया गया था। गवाह को उसका बयान अन्तर्गत धारा 164(5) सी०आर०पी०सी० दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि यह उसका ही बयान है, उस पर उसका फोटो व हस्ताक्षर मौजूद हैं, वह इसको प्रमाणित करता है। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

आगे कथन किया कि उसे अपने घर के पास दो बीघा में दो बिसवा से कम जमीन खरीदी थी। उसकी इस जमीन में बगल में ननकू प्रसाद वर्मा का मकान बना है। उनके मकान का सारा गंदा पानी उसकी इस जमीन में आता है। उसने कई बार ननकू को मना किया तो उसने कहा कि अपनी जमीन नपवा लो। लेखपाल व पुलिस बल के सहयोग से पैमाइश हुई थी। पैमाइश में कुछ जमीन ननकू वर्मा के घर में निकली थी। ननकू वर्मा के घर की दीवार के पास खूंटा गाड़ा गया कि यहाँ से उसकी जमीन है तथा ननकू वर्मा को गंदा पानी उसकी जमीन में निकालने से मना किया था। लेकिन वह नहीं माना था। इसी रंजिश की वजह से घटना हुई थी।

15 ख– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना 3/4 मई 2014 की है। ढाई–तीन बजे रात का समय था। वह कमरे में लेटा हुआ था। जिस कमरे में वह लेटा था उसकी लम्बाई व चौड़ाई वह नहीं जानता। इसी कमरे से सटा हुआ बरामदा है। बरामदे की भी लम्बाई व चौड़ाई वह नहीं जानता। इसी बरामदे से सटा हुआ आंगन है। आंगन की लम्बाई चौड़ाई उसे नहीं मालूम। इस आंगन से उत्तर भगत का मकान है। पश्चिम उसके मकान के योगेन्द्र प्रसाद वर्मा का मकान है। उसके मकान के दक्षिण उसके भाई धर्मेन्द्र कुमार मिश्र का मकान है। उसके भाई धर्मेन्द्र के मकान व उसके मकान के बीच दीवाल का ही फासला है। उसके मकान व भगतराम वर्मा के मकान के बीच गली है। गली कितने फीट चौड़ी है यह वह नहीं जानता। वह बरामदे में खड़ा था, तब उसे गोली लगी थी। आंगन व बरामदा जहाँ मिलता है वहीं पर छोटकू खड़े थे। ननकू मेन दरवाजे पर खड़े थे। गोली लगने के बाद वह भागकर कमरे में अन्दर गया था। जब वह कमरे का दरवाजा एक हाथ से बंद कर रहा था तब

दूसरी गोली चली थी, जो दरवाजे पर पल्ले पर लगी थी। पहली गोली लगने पर ही वह बड़े जोर से चिल्लाया था। जब तक वह बरामदे से दौड़कर कमरे में आया व दरवाजा अंदर से बंद किया तब तक उन्होंने दूसरा फायर कर दिया। गोली लगने के दो मिनट में उसके भाई धर्मेन्द्र आ गए थे। काफी लोग आ गए थे। उसके भाई, भाभी, उनके बच्चे, योगेन्द्र वर्मा, कमला प्रसाद वर्मा व उनके परिवार के कई लोग आ गए थे। कमला प्रसाद वर्मा व धर्मेन्द्र उसे मोटरसाइकिल से लेकर सी०एच०सी० गिलौला ले गए थे। कमला प्रसाद मोटर साइकिल चला रहे थे। उस समय वह होश में था। जब उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था तब वह होशोहवास में था और शपथ बयान दिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 164 सी०आर०पी०सी० पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो उसने कहा कि ये बयान सही है लेकिन इसके पहले उसने अभी जो बयान दिया है कि गोली लगने के बाद वह कमरे के अन्दर चल गया था और काफी लोग आ गए थे, ये बात उसने अपनी पत्नी के बताने पर बताई है। अपनी पत्नी के बताने पर बताया है कि किवाड़ पर गोली लगने के बाद उसके भाई, भाभी, उनके बच्चे, योगेन्द्र वर्मा व कमला वर्मा व बहुत से लोग मौके पर आ गए थे। यह भी अपनी पत्नी के बताने पर बताया है कि मोटरसाइकिल कमला प्रसाद वर्मा चला रहे थे। उसके भाई पीछे बैठे थे, वह बीच में बैठा था। जब उसे गोली लगी थी, उस समय वह गोल गले की टीशर्ट और हाफ लोअर पहने हुए था। उसका रंग उसे याद नहीं है। साक्षी को कागज सं० बी11/8 दिखाया गया तो उसने कहा कि यह लिखित बयान उसने अपनी हस्तलेख में अपना हस्ताक्षर कर दरोगाजी को दिया था। उसका यह बयान सही है डाक्टरी करते समय डाक्टर साहब ने उसकी खून लगी टीशर्ट उतरवा कर कूड़ेदान में फेंक दिया था। फिर कहा कि कूड़ेदान में डलवा दिया था। जिस समय डाक्टर ने उसकी टीशर्ट उतरवाई थी, उस समय वह होश में नहीं था। उसने कागज सं० बी11/8 का बयान होश में आने के कितने देर बाद लिखी थी, यह उसे नहीं याद है। कागज सं० बी11/8 का उसका जो बयान है, उसे याद नहीं है कि यह उसने डाक्टर साहब को लिखाकर दिया था या दरोगाजी को दिया था। खून लगे गमछे की बात उसने सभी अधिकारियों, विवेचक को बताई थी और गमछा उन्हें दिखाया भी था। खून लगा गमछा दरोगाजी वकील पाण्डेय ने घटना के करीब दो साल बाद मुझसे लिया था। तब तक वह खून लगा गमछा वह बक्से में रखे हुए था। कमला प्रसाद वर्मा व उसके भाई उसे चोट लगने के बाद सी०एच०सी० गिलौला में उसकी डाक्टरी नहीं हुई थी। फिर कहा कि उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि सी०एच०सी० गिलौला में उसकी डाक्टरी नहीं हुई थी। उस समय वह बेहोश था, वह कह रहा है कि लिखिये वह बेहोश था। सी०एच०सी० गिलौला से वह कहाँ गया था, यह उसे नहीं मालूम है। यह बात उसकी पत्नी बताएगी कि उसे कहाँ ले गये थे। उसकी पत्नी ने बताया था कि एम्बुलेंस में लादकर सी०एच०सी० गिलौला से भिनगा अस्पताल ले गए थे। फिर कहा कि सी०एच०सी० गिलौला से गिलौला थाने मोटर साइकिल से ले गए थे फिर थाने से सी०एच०सी० गिलौला ले गए थे। फिर एम्बुलेंस से सी०एच०सी० गिलौला से भिनगा जिला अस्पताल उसे लाये थे। पत्नी ने उसे नहीं बताया था कि वह भिनगा अस्पताल कितने बजे पहुँचा

था। भिनगा अस्पताल में उसे करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन में होश में आया था। उसे बेहोश होने के बाद जब उसे करीब साढ़े ग्यारह बजे भिनगा अस्पताल में होश आया था तब उसकी पत्नी ने बताया था कि उसे मोटरसाइकिल से सी०एच०सी० गिलौला तक, फिर एम्बुलेंस से भिनगा अस्पताल तक लाया गया था। उसे होश नहीं था कि कौन कौन साथ में था, व उसे कहाँ कहाँ ले गए थे। गोली लगने के करीब सात–आठ दिन के बाद दरोगा टी०पी०यादव ने उसका बयान उसे थाने पर ले जाकर लिखा था। टी०पी०यादव जब मौका मुआयना करने आये थे, तब वह जिला अस्पताल भिनगा में था। जिला अस्पताल भिनगा में वह करीब सात आठ दिन तक रहा था। जिला अस्पताल में टी०पी०यादव उसका बयान लेने आए थे या नहीं, उसे याद नहीं है। टी०पी०यादव ने उसके मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था। फिर बाद में विवेचना सूरज प्रसाद SI ने किया था। विवेचक सूरज प्रसाद मौका मुआयना करने आए थे। घटना के कितने दिन बाद आए थे, यह उसे नहीं पता है। उन्होंने उसका बयान लिया था। सूरज प्रसाद दरोगाजी को उसने बताया था कि घटना के समय वह कमरे में सो रहा था, छत पर नहीं। अगर उन्होंने उसके बयान में यह नहीं लिखा है, तो इसकी कोई वजह वह नहीं बता सकता। सूरज प्रसाद को उसने बताया था कि घटना के बाद वह बेहोश हो गया था। अगर उन्होंने यह बात नहीं लिखी है, तो इसकी कोई वजह वह नहीं जानता। उसके शरीर पर दो चोटें आईं थी। एक बायें हाथ में कंधे के नीचे, दूसरी बाएं सीने पर कंधे के पास। इन दो चोटों के अलावा उस दिन और कोई चोट उसे नहीं आई थी। ये दोनों चोटें गोली की थी, लाठी डण्डे की नहीं थी। उसका एक्स–रे दो–तीन बार हुआ था। कंफर्म उसे याद नहीं है कि दो बार एक्स रे हुआ था या तीन बार। मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी चोटों की डाक्टरी एक बार हुई थी। लखनऊ में उसका डिजिटल एक्स–रे हुआ था। एम०आर०आई० हुई थी यह नहीं उसे नहीं पता। लखनऊ में सर्जन ने उसका आपरेशन नहीं किया था। उसने अपने हाथ से धातु के टुकड़े को निकलवाने के लिए दरख्वास्त दिया था यह नहीं, उसे नहीं याद है। उसके हाथ से गोली डाक्टर ने निकाली थी यह नहीं, उसे याद नहीं है। SI सूरज प्रसाद ने भी फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। गवाह को कागज सं० बी10/6 दिखाया गगया तो उसने कहा कि उसकी पत्नी ने दिनांक 06.08.2015 को यह प्रार्थना पत्र डी०आई०जी० महोदय को दिया था, इसमें गमछे की बात नहीं लिखी है। दरोगा ओम प्रकाश सिंह ने इस घटना की विवेचना की थी। ओ०पी०सिंह ने उसका बयान उसके घर पर आकर लिया था। और उसी दिन कई अन्य लोगों का भी बयान लिया था। उसे नहीं मालूम कि ओ०पी०सिंह ने टेलीफोन पर उसका बयान लिया था यह नहीं। ओ०पी०सिंह ने जब उसका बयान लिया था तब उसने उन्हें मौका दिखाया था, उन्होंने उसके सामने नक्शा नजरी बनाया था। शांति देवी पत्नी मनोरथ को वह जानता हूँ। शांति देवी ने सन् 2015 में उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया था। वह मुकदमा इसी अदालत पर चल रहा है। शांति देवी का मकान उसके घर से कितनी दूर है, यह वह नही जानता। शांति देवी का मकान मुल्जिम ननकू वर्मा के घर के बगल में है। यह कहना गलत है कि गोली लगने की घटना झूठी है। यह भी कहना गलत है कि उसने

अपने इस मुकदमें में शांति देवी को गवाह बनाना चाहा था किन्तु उनके मना करने पर उसने उनकी लड़की से छेड़छाड़ की थी।

पुनः उपस्थित होकर जिरह में आगे कथन किया कि वह इण्टर पास है। आज गवाही देने वह अकेले ही आया है। उसके पीछे उसके साले खड़े हैं। जब वह कमरे में बाहर निकला तो देखा कि ननकू व छोटकू आंगन में खड़े थे। उसने अपने मुख्य बयान में भी यही बताया है। मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिये बयान अन्तर्गत धारा 164 सी०आर०पी०सी० में उसने कहा था कि ननकू व छोटकू बरामदे में खड़े थे, वह बात गलत है। उसे नहीं पता कि मौके पर जब गवाहान पहुँचे थे तब मुल्जिमान भाग गए थे कि नहीं। उसके घर के मेन गेट का दरवाजा खुला हुआ था, ताला टूटा हुआ था। इस मुकमदें की विवेचना चार दरोगाओं ने की थी। चारों विवेचकों ने मौके पर घर पर आकर नक्शा नजरी बनाया था। सूरज प्रसाद SI, ओ०पी० सिंह दरोगाजी ने उसके सामने नक्शा नजरी नहीं बनाया था। उसे याद नहीं है कि विवेचकों को उसने टूटा हुआ ताला दिखाया था या नहीं। उसके शरीर पर जो चोटें आईं थी, वह एक ही हथियार से आई थी। मेन गेट से बरामदे की दूरी चार पांच कदम की होगी। उसने बंदूक देखी है। जिस बंदूक से फायर किया था वह एक बित्ता की छोटी बंदूक थी। वह यह नहीं बता सकता कि वह बंदूक 12 बोर की थी, 315 बोर की थी यह 32 बोर की थी। उसके घर के पास वाली जमीन उसके पिताजी ने खरीदी थी। उसके पिताजी ने वह जमीन अंजनी कुमार गुप्ता व उनके भाइयों से खरीदी थी। उस जमीन में उसके भाई धर्मेन्द्र का भी हिस्सा है। डेढ़ बीघा उसका हिस्सा है, नौ बिसवा धर्मेन्द्र का है। उपरोक्त जमीन की पैमाइश के सम्बन्ध में उसने प्रा० पत्र विवेचक टी०पी० यादव को दिया था। वह संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में भर्ती था। कितने दिन भर्ती था यह उसे याद नहीं है। विवेचक ने उसके भर्ती होने का कागज स्वयं अस्पताल से लिया था। उसने भिनगा अस्पताल से जाने के बाद इकौना में प्राइवेट डाक्टर से इलाज कराया था। उसके कंधे में जो धातु का टुकड़ा था उसे उसने नहीं निकलवाया था। वह दरोगाजी के साथ ऐशबाग, लखनऊ राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ के यहाँ गया था। उसे नहीं पता कि डाक्टर ने वहाँ पर दरोगाजी को राय दी थी कि कंधे का धातु का टुकड़ा निकलवा दिया जाए। गिलौला में जमीन बहुत महंगी बिकती है या नहीं, यह वह नहीं जानता। यह कहना गलत है कि घटना वाले रात वह शराब के नशे में मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तभी गड्ढे में गिरने से उसे चोटें आईं और धातु का टुकड़ा कंधे में रह गया। यह कहना गलत है कि वह अपने खेत के उत्तर ननकू वर्मा के घर के सामने खाली ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करना चाहता था और ननकू वर्मा मना कर रहे थे इसीलिए उसने यह फर्जी मुकदमा लिखा दिया था।

16 क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में पी0 डब्लू0–3 **माधुरी देवी** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना आज से करीब चार–पांच साल पहले की है। गर्मी का मौसम था। वह छत पर लेटी थी। अनिल कुमार मिश्र उसके देवर हैं। उनका मकान उत्तर तरफ है और उसका मकान दक्षिण तरफ है। बीच में दीवाल है। रात में करीब दो बजे या दाई बजे फायर

की आवाज सुनाई दी थी। उसके पति उसके साथ ही लेटे थे। अनिल व उनकी पत्नी घर में नीचे लेटे थे। अनिल के घर में जीना नहीं लगा है। घर एक ही है, बीच में दीवाल उठी है। लगन का समय था। फायर की आवाज सुनकर हम लोग छत से उतरकर नीचे की तरफ गये और अनिल के घर से हो–हल्ला सुनकर अनिल के घर गये तो लाइट की रोशनी में देखा कि छोटकू व ननकू को भागते देखा था। हाथ में क्या लिये थे, उसने नहीं देखा था। हाथ में छिपाये हुये कोई औजार लिये थे। अनिल के बायें हाथ में उपर तरफ कंधे में फायर लगा था। घटना के सम्बन्ध में दारोगाजी ने उसका बयान लिया था। उसने अनिल कुमार की बांह से खून निकलता देखा था। वह घायल हो गये थे। देवरानी के साथ वह लोग अनिल को लेकर थाने गये थे। मुकदमा लिखवाया गया। उसके बाद पुलिस मौके पर आयी। जांच पड़ताल किया। अनिल की डाक्टरी व दवा इलाज करवाया। अनिल का दवा इलाज गिलौला व भिनगा में हुआ था। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान हुआ था। गवाह को उसका बयान अन्तर्गत धारा 164 सी०आर०पी०सी० दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि इस पर उसका फोटो चस्पा है और इस पर उसके हस्ताक्षर बने हैं। उसने यही बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। इस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया।

16 ख– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि वह कक्षा 8 तक पढ़ी है। घटना वाले दिन वह अपने घर पर सोई हुई थी। फायर की आवाज सुनने के बाद वह पांच मिनट बाद पहुँच गई थी। जब वह मौके पर पहुँची तब अनिल कुमार मिश्र बेहोश नहीं थे। अपने आप खड़े थे। जब वह मौके पर पहुँची तो देखा कि अनिल कुमार मिश्रा को खून बह रहा था। वह मौके पर जब पहुँची तो दो लोगों को भागते हुए देखा लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सकी थी कि वो लोग कौन थे। जब वह मौके पर अनिल मिश्रा के घर पहुँची तो वहाँ अनिल मिश्रा व उनकी पत्नी चन्दा देवी व वह व उसके पति थे। अनिल मिश्रा को चार लोग अस्पताल लेकर गए थे। जहाँ पर अनिल मिश्रा को चोट लगी थी वहाँ शोभाराम वर्मा व कमला प्रसाद वर्मा नहीं आए थे। अनिल मिश्रा को वह व उसके पति, चन्दा देवी व अनिल मिश्रा साथ में गए थे। अनिल मिश्रा बेहोश नहीं थे। उसने ननकू वर्मा को घर से नहीं छत से भागते हुए देखा था। छत से जब उसने दो लोगों को भागते हुए देखा तो यह नहीं पहचाना कि ये लोग ननकू उर्फ ओमप्रकाश व छोटकू वर्मा हैं। उसने दरोगा जी को मौके से घटना के बाद भागने वाले व्यक्ति के साथ में ननकू प्रसाद उर्फ ओमप्रकाश व छोटकू वर्मा का नाम नहीं बताया था। दरोगा जी ने उसके बयान में उन लोगों का नाम कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकती है। चन्दा देवी उसकी देवरानी है। अनिल मिश्रा व ननकू प्रसाद उर्फ ओमप्रकाश व छोटकू वर्मा के मध्य खेत को लेकर विवाद पहले से चल रहा था। अनिल मिश्रा व उसका घर बिल्कुल मिला हुआ है बीच में दीवार है। यह घटना रात के करीब दो से ढाई बजे की है। अनिल मिश्रा को हम सिर्फ चार लोग ही ले गए थे। जिसमें अनिल मिश्रा भी थे। रिपोर्ट चन्दा देवी ने लिखाया था। थाने पर जब वह लोग अनिल मिश्रा को लेकर वर्मा थे तब अनिल मिश्रा होश में थे। चन्दा देवी ने थाने पर

इनसे बताया था कि उसने ननकू उर्फ ओमप्रकाश व छोटकू वर्मा का नाम लिखाया है यही बात आपको भी बताना है। उसने मौके पर फायर करते हुए किसी को नहीं देखा है। भागने वाले व्यक्तियों को उसने पहचाना नहीं था। न्यायालय पर उसका बयान हुआ था वह बयान उसने चन्दा देवी पत्नी अनिल कुमार मिश्रा को दवाब व भयवश दिया था। यह कहना सही है कि उसने मौके पर फायर करते हुए किसी को नहीं देखा तथा भागने वाले व्यक्तियों को पहचान नहीं सकी।

17 क– तथ्य के साक्षी के रूप में अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में पी0 डब्लू0–5 **धर्मेन्द्र कुमार** उर्फ **पप्पू पाठक** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि वह कक्षा पांच तक पढ़ा है। घटना लगभग सात साल पहले की है। रात्रि में लगभग ढ़ाई बजे का समय था। इस घटना के चोटहिल अनिल जो उसके छोटे भाई हैं उनका व उसका मकान एक ही में है बीच में दीवार है घटना वाले दिन वह छत पर सो रहा था। दो दिन बाद लड़के का गौना लेने जाना था इसलिए घर में मेहमान ज्यादा थे। शोर सुनकर वह अपने घर से अनिल के घर पहुँचा तो अनिल के घर से दो लोग भाग रहे थे, उजाला था, उनको उजाले में उसने पहचाना वह ननकू व छोटकू थे। वह लोग उसके बगल में ही रहते हैं। इस कारण से वह उन्हें भली भांति पहचानता है। अपने भाई अनिल के पास जब पहुँचा तो देखा कि अनिल के बाएँ कंधे के पास हाथ में गोली लगी है और दरवाजे पर भी गोली लगी थी। अनिल व उनकी औरत चिल्ला रहे थे कि छोटकू ननकू गोली मार कर भाग गए वहाँ धुवाँ भी था। दो फायर हुआ था। अनिल उसके भाई आँख झपक रहे थे। अर्धमूर्छित थे। कहे दादा अस्पताल ले चलो। उनको लेकर सब लोग अस्पताल गए फिर थाने आए फिर अस्पताल गए। उसका कलमबंद बयान हुआ था। दरोगा जी ने भी उसका बयान लिया था। पत्रावली में संलग्न बयान 164 सी०आर०पी०सी० को गवाह को दिखाया गया व सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यही बयान उसने मजिस्ट्रेट साहब के को दिया था। उस पर बना हस्ताक्षर उसका है, प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

17 ख– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके भाई अनिल व अभियुक्त छोटकू व ननकू से जमीन को लेकर रंजिश घटना के काफी पहले से चली आ रही है। घटना उसे मालूम है। घटना का दिन, तारीख व महीना वह नहीं जानता है क्योंकि काफी दिन हो गये हैं। घटना के बावत वह थाने पर गया था। थाने पर वह, उसकी पत्नी माधुरी, उसका लड़का, उसके भाई गये थे और साथ में कोई नहीं गया था। वह छः–सात पढ़ा है। वह हिन्दी मिलामिलाकर पढ़ लेता है। घटना की तहरीर थाने पर किसने दी थी, उसे याद नहीं है। जब घटना तहरीर दी गई थी तो वह साथ में थाने पर था। तहरीर में जो बात लिखी है कि "वह अपने बच्चों सहित घर के छतपर सोई हुई थी। घात लगाकर विपक्षी बैठे हुये थे" यह बात सही है। घटना होने के आधा घण्टा बाद वह मौके पर पहुंचा था। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसके भाई बरामदे में लेटे थे आंख खोलकर देखते थे और आंख बंद कर लेते और कहते थे कि भइया अस्पताल ले चलो। उसने अपनी आंखो से किसी को अनिल कुमार को गोली मारते हुये नहीं देखा था। उसे जानकारी नहीं है कि मुल्जिमान और अनिल कुमार के बीच पुरानी

रंजिश थी अथवा नहीं। जहां पर मुल्जिमानो का पल्ला लगा है वहां पर अनिल का खेत है। उसे याद नहीं है कि अनिल कुमार ने मुल्जिमान व मुल्जिमान के परिवार वालों के ऊपर कितने मुकदमें दर्ज कराये हैं। अनिल के हाथ में गोली लगी थी परन्तु गोली दाहिने हाथ पर लगी थी या बायें हाथ पर लगी थी यह उसे याद नहीं है। चोटहिल अनिल कौन–कौन से कपड़े पहनकर मुकदमा लिखाने गये थे यह उसे याद नहीं है। जहां पर चोटहिल के गोली लगी थी उसको उसने देखा था खून निकल रहा था। उसे याद नहीं है कि उसने अपने भाई के अनिल कुमार के घाव को देखा कि घाव के आस पास कोई जले अथवा टैटूइंग के निशान थे अथवा नहीं। जहां गोली लगी थी वहां का कपड़ा कटा था। कपड़ा फटा था अथवा नहीं उसे याद नहीं है। उसे याद नहीं है कि मौके पर कोई खोखा कारतूस पड़े थे अथवा नहीं। उसे यह याद नहीं कि जो कपड़ा अनिल कुमार पहनकर गिलौला अस्पताल गये थे और डाक्टरी हुई थी वही कपड़ा भिनगा अस्पताल पहनकर एंबुलेंस से आये थे या नहीं। जब घटना हुई थी तब दरोगा जी उसे लेकर दो मंजिला कोठी पर गये थे वहां पर उसका बयान हुआ था और माधुरी का बयान भी हुआ था। उसे याद नहीं है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो अनिल कुमार के घर के दरवाजे का ताला टूटा था अथवा नहीं। भइया उसके हल्ला कर रहे थे कि ननकू व छोटू मारकर भाग गये थे उसने (स्वयं) भागते हुये अपनी आंखो से नहीं देखा था। घटना वाली रात वह अपनी छत पर लेटा हुआ था। वह छत पर अकेला लेटा हुआ था उसकी पत्नी छत पर नहीं लेटी थी। हल्ला कितने बजे हुआ था समय याद नहीं है। जब वह अनिल कुमार की दवा कराने व थाने पर गया था तब उसके साथ अनिल कुमार की दवा कराने जोगिन्दर व उनके लड़के कमला प्रसाद साथ में नहीं गये थे यदि वह आगे पीछे गये हो तो उसे इस बात की जानकारी नहीं है। जोगिन्दर वर्मा व ननकू वर्मा सगे भाई हैं। कमला प्रसाद, ननकू उर्फ ओमप्रकाश का सगा भतीजा है। वह घटना वाली रात में सो रहा था फायर की आवाज उसने सुनी थी। फायर की कितनी आवाजें आई थीं उसे याद नहीं है। साक्षी को उसका बयान 164 Cr.P.C. पढ़कर सुनाया गया कि "शोर हल्ला सुनकर जब मैं पहुंचा तो अनिल के घर से दो आदमियों के घर से भागते हुये थे उजाला था पहचान लिया में उनको पकड़ने के लिये नहीं दौड़ा भाई के पास गया" यह सुनकर साक्षी ने कहा कि यह बात सही है। उसने जो 164 का बयान जो दिया था वह सही है और उसने जो आज बयान दिया है वह भी सही है। वह और उसका भाई अनिल मिश्रा गिलौला अस्पताल मे दवाई करने के बाद वह भिनगा अस्तपताल नहीं आया था क्योंकि उससे कहा था कि जाकर भैंस की देखरेख करो। अनिल मिश्रा भिनगा दवा कराकर उसी दिन वापस नहीं गये थे दो चार दिन वहीं थे। उसे याद नहीं है कि अनिल मिश्रा ने विवेचक को कभी खून लगा गमछा दिया था अथवा नहीं दिया था। घटना वाली रात अनिल मिश्रा कौन–कौन से कपड़ा पहने हुए थे यह याद नहीं है वह कपड़े किस रंग के पहने हुये थे यह भी याद नहीं है। उसके भाई अनिल मिश्रा ने यह नहीं कहा था कि वह आपका नाम गवाही में रख रहा है और उसको इस प्रकार से उसके पक्ष में गवाही देनी है। उसे यह याद नहीं है कि इस मुकदमें में प्रथम बार ठाकुर प्रसाद यादव विवेचक ने जो विवेचना की उसमें उसका बयान लिया

था अथवा नहीं। दूसरी बार विवेचक सूरज प्रसाद विवेचना करने गये थे तो उन्होंने उसका बयान लिया था और उसने जो सही बात थी वही बात उसने उनको बताई थी। उसे याद नहीं है कि इस मुकदमें के विवेचक वकील पाण्डेय ने उसका बयान लिया था अथवा नहीं। इस मुकदमें में बहराइच के विवेचक ओ.पी. सिंह ने उसका बयान लिया था अथवा नहीं, उसे याद नहीं है। घटना स्थल की चौहद्दी उसे मालूम है। अनिल कुमार के घर के पश्चिम में जो गली है वह लगभग डेढ़ हाथ चौड़ी है। गली के पश्चिम में जोगिन्दर वर्मा का घर बना है। अनिल के घर के उत्तर में रास्ता है, वर्मा व कोरी लोग रहते हैं। इस रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली चला जाता है रास्ता कितना चौड़ा है उसने नापा नहीं है। उसके भाई अनिल मिश्रा के घर का आंगन कितना लम्बा चौड़ा है यह उसे जानकारी नहीं है। अनिल मिश्रा के घर का बरामदा लगभग पन्द्रह–सोलह हाथ लम्बा है और साढ़े तीन–चार हाथ चौड़ा है। अनिल मिश्रा जिस घर में रहते हैं उनके आंगन से मेन दरवाजे के बीच की दूरी लगभग दस–ग्यारह हाथ होगी। घटना स्थल पर वह व उसकी पत्नी माधुरी देवी साथ में ही पहुंची थी। उसकी आज वाली बात सही है जो उसने मजिस्ट्रेट साहब को 164 में बयान दिया था वह गलत दिया था। उसके घर के उत्तर राममनोरथ उर्फ कोरी का घर है। राममनोरथ कोरी की पत्नी शान्तीदेवी ने अपनी लड़की कोमल के साथ जो छेड़खानी हुआ था उसमें पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखाया था। उस मुकदमें में अभियुक्त छोटकू के सगे भाई गवाह है। वह यह नहीं बता पाएगा कि ननकू उर्फ ओमप्रकाश के सगे भाई लीडर उर्फ अजय कुमार उस मुकदमें में गवाह है। यह कहना गलत है कि अनिल उसके सगे भाई हैं और भाई होने के नाते वह उनकी तरफ से झूठा बयान देने आया है। यह कहना गलत है कि घटना वाली रात उसके भाई अनिल कुमार शराब के नशे में गिलौला बाजार से घर आ रहे और बाजार में बने नाले में बायें अंग के बल जोर से गिरे और नाले में पड़ा लोहे का धातु उनकी बांह में घुस गया।

18 क– तथ्य के साक्षी के रूप में अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में पी0 डब्लू0–6 **कमला प्रसाद वर्मा** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना को लगभग ग्यारह साल हो रहे हैं। रात ढाई बजे का समय था। वह व उसके पिता जोगिन्दर प्रसाद वर्मा छत पर सो रहे थे। शोर सुनकर वह व उसके पिता गली के रास्ते से अनिल कुमार मिश्र के घर गये तो देखा कि उनके घर पर गांव के तमाम लोग इकठ्ठा हो गये थे। अनिल कुमार के हाथ से खून बह रहा था चोट काफी गहरी थी। घर पर अनिल कुमार की पत्नी थी तब इन लोगों ने अनिल कुमार की पत्नी के कहने पर अनिल कुमार को लेकर गिलौला अस्पताल गये और थाने पर सूचना दी। थाने पर सूचना अनिल की पत्नी ने दी थी। पुलिसवालों ने गिलौला अस्पताल में अनिल कुमार की डाक्टरी कराई जहां से डाक्टर ने उन्हें भिनगा रेफर कर दिया और भिनगा से उन्हें मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया था। अनिल मिश्रा के घर के पीछे उसका घर है। अनिल कुमार मिश्रा ने उसे बताया था कि उसे गोली लग गई है। पुलिसवाले घटना के बाद गांव में जांच करने आये थे और उससे बयान लिया था।

18 ख– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया

है कि जब वह अनिल मिश्रा के घर पहुंचा तो अनिल मिश्रा वहां पर पड़े हुये थे और हल्का हल्का बोल रहे थे वह बिल्कुल बेहोश नहीं थे। अनिल मिश्रा किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां पर उसके पहुंचने के पहले अनिल के भाई, उनकी पत्नी, बड़े भाई के बच्चे व गांव के दो–चार आदमी मौजूद थे। अनिल मिश्रा कहां गोली लगी थी यह उसने नहीं देखा उसने केवल हाथ से खून बहते हुये देखा था। यह उसे जानकारी नहीं है कि अनिल के किस हाथ से खून बह रहा था क्योंकि रात का समय था। उसने चोट को नापा नहीं था लोगों के बताने के अनुसार उसने चोट गहरी बताई है। उसे यह जानकारी नहीं है कि मुल्जिमान की अनिल मिश्रा के साथ रंजिश है कि नहीं। वह लोग अनिल मिश्रा को किस साधन से लेकर अस्पताल गये थे उसे याद नहीं है। जब वह अनिल मिश्रा को अस्पताल लेकर गया था तो वह टी शर्ट व पैण्ट पहने हुये थे। वह टीशर्ट का रंग नहीं बता सकता है। डाक्टर साहब ने गिलौला अस्पताल से इलाज करने के बाद अनिल मिश्रा को भिनगा अस्पताल के लिये रेफर कर दिया था। उसे यह जानकारी नहीं है कि जब डाक्टर साहब ने अनिल मिश्रा को गिलौला अस्पताल से भिनगा के लिये रेफर किया था तो उन्होंने अनिल मिश्रा की टीशर्ट निकलवाई थी अथवा नहीं। इस मुकदमें में विवेचक ने उससे एक बार पूछताछ किया था। उसने अपनी आंखो से अनिल मिश्रा को किसी मुल्जिम के द्वारा गोली मारते हुये या भागते हुये नहीं देखा है। मुल्जिमान ओम प्रकाश उसके सगे चाचा हैं। छोटकऊ वर्मा उसके पट्टीदार लगते हैं। जब अनिल मिश्रा को भिनगा के लिये रेफर किया गया था तो वह अनिल मिश्रा के साथ भिनगा नहीं गया था। अनिल मिश्रा की पत्नी चंदा देवी ने किसी व्यक्ति से तहरीर लिखवाई थी अथवा नहीं उसे जानकारी नहीं है। घटना के लगभग दो साल बाद दरोगा जी ने उससे पूछताछ किया था। वह इण्टर पास है। साक्षी को उसका 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया कि "एसओ साहब ने अनिल कुमार मिश्रा का मेरा व मनीष के हस्ताक्षर बनवाये थे" यह बयान सुनकर साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा बयान नहीं दिया था और न ही उसने किसी कागज पर कोई हस्ताक्षर बनाया था। अगर दरोगा जी ने यह बात उसके बयान में लिखी है तो इसकी वजह वह नहीं बता सकता है। घटना स्थल पर वह घटना के आधा–पौने घण्टा बाद वहां पहुंचा था। यह कहना गलत है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया था और चंदादेवी के कहने से वह झूठी गवाही दे रहा है।

19– वर्तमान प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम विवेचक एवं द्वितीय विवेचक द्वारा मामले को झूठा पाते हुए अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी थी तथा तथाकथित रूप से अंतिम विवेचक द्वारा मामले की सम्यक विवेचना किए बिना वादी मुकदमा के दबाव में झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं और साक्षी पी०डब्लू० 3 माधुरी जो कि तथाकथित चोटहिल अनिल मिश्रा की भाभी हैं एवं साक्षी पी०डब्लू० 5 धर्मेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पाठक जो कि तथाकथित चोटहिल अनिल मिश्रा के भाई हैं के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में मौके के किसी स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी को पेश नहीं किया गया है।

अभियोजन साक्षीगण के कथन स्वाभाविक एवं नैसर्गिक नहीं हैं तथा अभियोजन की ओर से दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथाकथित अंगौछे को घटना के दो वर्ष बाद विवेचक को प्रदान किए जाने का कथन किया गया है परन्तु उक्त के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट अभियोजन द्वारा न तो दाखिल की गई है और न तो साबित की गई है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथाकथि उपहति आख्या एवं एक्स–रे रिपोर्ट से भी चोटहिल अनिल मिश्रा के शरीर पर फायर आर्म की चोटें पाया जाना साबित नहीं है।

20– इसी प्रकार विधि व्यवस्था **सीताराम सेठ बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2014 (85) ए०सी०सी० पेज 182** में माननीय न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर रहता है।

21– विधि व्यवस्था **विजय ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ए०सी०सी० 2014(87) पेज 967** उच्चतम न्यायालय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संदेह कितना भी गहरा हो परन्तु वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है।

22– उक्त तर्कों व विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण के बयान एवं जिरह जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

23– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित पी०डब्लू० 3 माधुरी देवी जो कि चोटहिल की भाभी हैं ने यद्यपि कि मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और फायर की आवाज सुनकर छत से नीचे उतर कर आने का कथन किया है और मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष बयान अन्तर्गत धारा 164 दर्ज कराए जाने का कथन किया है परन्तु जिरह में कथन किया है कि वह मौके पर जब पहुँची तो दो लोगों को भागते हुए देखा लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सकी थी कि वो लोग कौन थे। जब वह मौके पर अनिल मिश्रा के घर पहुँची तो वहाँ अनिल मिश्रा व उनकी पत्नी चन्दा देवी व वह व उसके पति थे। अनिल मिश्रा को चार लोग अस्पताल लेकर गए थे। जहाँ पर अनिल मिश्रा को चोट लगी थी वहाँ शोभाराम वर्मा व कमला प्रसाद वर्मा नहीं आए थे। अनिल मिश्रा को वह व उसके पति, चन्दा देवी व अनिल मिश्रा साथ में गए थे। अनिल मिश्रा बेहोश नहीं थे। उसने ननकू वर्मा को घर से नहीं छत से भागते हुए देखा था। छत से जब उसने दो लोगों को भागते हुए देखा तो यह नहीं पहचाना कि ये लोग ननकू उर्फ ओमप्रकाश व छोटकू वर्मा हैं। उसने दरोगा जी को मौके से घटना के बाद भागने वाले व्यक्ति के साथ में ननकू प्रसाद उर्फ ओमप्रकाश व छोटकू वर्मा का नाम नहीं बताया था। दरोगा जी ने उसके बयान में उन लोगों का नाम कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकती है। चन्दा देवी उसकी देवरानी है। अनिल मिश्रा व ननकू प्रसाद उर्फ ओमप्रकाश व छोटकू वर्मा के मध्य खेत को लेकर विवाद पहले से चल रहा था। अनिल मिश्रा व उसका घर बिल्कुल मिला हुआ है बीच में दीवार है। यह घटना रात के करीब

दो से ढाई बजे की है। अनिल मिश्रा को हम सिर्फ चार लोग ही ले गए थे। जिसमें अनिल मिश्रा भी थे। रिपोर्ट चन्दा देवी ने लिखाया था। थाने पर जब वह लोग अनिल मिश्रा को लेकर वर्मा थे तब अनिल मिश्रा होश में थे। चन्दा देवी ने थाने पर इनसे बताया था कि उसने ननकू उर्फ ओमप्रकाश व छोटकू वर्मा का नाम लिखाया है यही बात आपको भी बताना है। उसने मौके पर फायर करते हुए किसी को नहीं देखा है। भागने वाले व्यक्तियों को उसने पहचाना नहीं था। न्यायालय पर उसका बयान हुआ था वह बयान उसने चन्दा देवी पत्नी अनिल कुमार मिश्रा को दवाब व भयवश दिया था। यह कहना सही है कि उसने मौके पर फायर करते हुए किसी को नहीं देखा तथा भागने वाले व्यक्तियों को पहचान नहीं सकी।

24– इस प्रकार इस साक्षी द्वारा इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और साक्षी द्वारा किसी मुल्जिम की पहचान नहीं की गई है और यह भी कथन किया है कि उसने मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष जो बयान दिया था वह चोटहिल की पत्नी के दबाव में दिया था और इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं मिलता।

25– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 5 धर्मेंद्र कुमार जो कि चोटहिल अनिल का भाई है ने भी यद्यपि कि मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और फायर की आवाज सुनकर छत से नीचे उतर कर आने का कथन किया है और मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष बयान अन्तर्गत धारा 164 दर्ज कराए जाने का कथन किया है परन्तु जिरह में कथन किया है कि घटना होने के आधा घण्टा बाद वह मौके पर पहुंचा था। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसके भाई बरामदे में लेटे थे आंख खोलकर देखते थे और आंख बंद कर लेते और कहते थे कि भइया अस्पताल ले चलो। उसने अपनी आंखो से किसी को अनिल कुमार को गोली मारते हुये नहीं देखा था। उसे जानकारी नहीं है कि मुल्जिमान और अनिल कुमार के बीच पुरानी रंजिश थी अथवा नहीं। जहां पर मुल्जिमानो का पल्ला लगा है वहां पर अनिल का खेत है। उसे याद नहीं है कि अनिल कुमार ने मुल्जिमान व मुल्जिमान के परिवार वालों के ऊपर कितने मुकदमें दर्ज कराये हैं। अनिल के हाथ में गोली लगी थी परन्तु गोली दाहिने हाथ पर लगी थी या बायें हाथ पर लगी थी यह उसे याद नहीं है। चोटहिल अनिल कौन–कौन से कपड़े पहनकर मुकदमा लिखाने गये थे यह उसे याद नहीं है। जहां पर चोटहिल के गोली लगी थी उसको उसने देखा था खून निकल रहा था। उसे याद नहीं है कि उसने अपने भाई के अनिल कुमार के घाव को देखा कि घाव के आस पास कोई जले अथवा टैटूइंग के निशान थे अथवा नहीं। जहां गोली लगी थी वहां का कपड़ा कटा था। कपड़ा फटा था अथवा नहीं उसे याद नहीं है। उसे याद नहीं है कि मौके पर कोई खोखा कारतूस पड़े थे अथवा नहीं। उसे यह याद नहीं कि जो कपड़ा अनिल कुमार पहनकर गिलौला अस्पताल गये थे और डाक्टरी हुई थी वही कपड़ा भिनगा अस्पताल पहनकर एंबुलेंस से आये थे या नहीं। जब घटना हुई थी तब दरोगा जी उसे लेकर दो मंजिला कोठी पर गये थे वहां पर उसका बयान हुआ था और माधुरी का बयान भी हुआ था। उसे याद नहीं है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो अनिल कुमार के घर के दरवाजे का ताला टूटा था अथवा नहीं।

भइया उसके हल्ला कर रहे थे कि ननकू व छोटू मारकर भाग गये थे उसने (स्वयं) भागते हुये अपनी आंखो से नहीं देखा था। आगे जिरह में स्वीकार किया है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष 164 में जो बयान दिया था वह गलत दिया था।

26– इस प्रकार इस साक्षी द्वारा इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और साक्षी द्वारा किसी मुल्जिम की पहचान नहीं की गई है और यह भी कथन किया है कि उसने मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष जो बयान दिया था वह चोटहिल की पत्नी के दबाव में दिया था और इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं मिलता।

27– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 6 कमला प्रसाद वर्मा ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जब वह शोर सुनकर पहुँचे तो देखा कि अनिल कुमार के हाथ से खून बह रहा था। जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने अपनी आँखों से अनिल मिश्रा को किसी मुल्जिम के द्वारा गोली मारते हुए या भागते हुए नहीं देखा। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं मिलता है।

28– अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में वादिनी मुकदमा जो चोटहिल अनिल कुमार की पत्नी है को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त छोटकू वर्मा और ननकू वर्मा बाउन्ड्री फांद कर उसके घर के निकास का ताला तोड़कर उसके घर में आ गए थे जैसे ही उसके पति निकले तब ननकू ने छोटकू को मारने के लिए कहा और जब उसके पति चिल्लाकर कमरे में भागे छोटकू ने एक फायर कर दिया। जो उसके पति के बाएं हाथ के ऊपर लगा। जब भागकर उसके पति ने दरवाजा बन्द कर लिया तब उन लोगों ने दूसरा फायर किया जो दरवाजे में लगा था। गोली की आवाज सुनकर उसकी जेठ, जेठानी, उनके बच्चे और मोहल्ले के कई लोग आ गए। कथन किया गया है कि घटना की सूचना उसके द्वारा थाने पर की गई थी तथा यह भी कथन किया गया है कि न्यायालय में उसका बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ था।

पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर प्रदर्श क–1 में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि वह अपने परिवार बच्चों सहित घर के छत पर लेटी हुई थी और उसके पति जागकर छत से नीचे आए तब मुल्जिमानों द्वारा फायर कर दिया गया।

जबकि न्यायालय में दिए गए बयान में यह कथन है कि वह और उसके पति कमरे में लेटे थे जो तहरीर प्रदर्श क–1 से भिन्न है। जिरह में साक्षी ने छत पर लेटने की बात से इन्कार किया है। साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि अस्पताल के बाद वह लोग थाने पर गए थे। प्रथम सूचना की तहरीर उसने नहीं लिखी थी, किसी व्यक्ति से लिखाई थी। उस व्यक्ति का नाम वह नहीं जानती है लेकिन उसे पहचानती है। वह थाने के पास रहता है। तहरीर उसने सच बात की लिखाई थी। वह हिन्दी पढ़ लेती है। साक्षी को कागज सं० ए 4/2 दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तथा पूछा गया तो साक्षी ने कहा कि तहरीर में जो लिखा है कि वह अपने परिवार बच्चों सहित घर के छत पर सोई हुई थी, वह बात गलत लिखी है। उसने ऐसा नहीं लिखाया था। फिर

कहा कि तहरीर में क्या लिखा था, ना उसने पढ़ा था और न उसे पढ़कर सुनाया गया था। उसने केवल दस्तखत कर दिया था और वह भिनगा अस्पताल चली गयी थी।

इस प्रकार जिरह में किए गए कथन से तहरीर प्रदर्श क–1 संदिग्ध हो जाती है।

आगे जिरह में कथन किया है कि उसके सामने उसके पति को गोली मारी गयी थी। एक व्यक्ति ने गोली मारी थी। उसके सामने एक गोली मारी थी जो बायें हाथ पर कंधे के नीचे लगी थी। उसने दरवाजे अंदर से बंद कर लिया था। दूसरी गोली कमरे के दरवाजे पर लगी थी। उसके पति को एक गोली लगी थी। गोली पीछे से खदेड़ कर मारी थी।

29– अभियोजन की ओर से चोटहिल अनिल कुमार मिश्रा को साक्षी पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिन्होंने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना तीन–चार मई सन् 2014 के रात ढाई तीन बजे की है। वह रोज की भांति खा–पीकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में लेटा था। वह ढाई–तीन बजे रात में पेशाब करने उठा था, ज्यों ही वह बरामदे में पहुँचा तो बल्ब की रोशनी में उसने देखा कि गेट के पास आंगन में छोटकू प्रसाद व ननकू प्रसाद खड़े थे। गेट खुला था, ताला टूटा था। उसने छोटकू से कहा कि वह उसके आंगन में क्या कर रहा है। तब ननकू ने छोटकू से कहा कि इसको गोली मारो तब छोटकू ने अपने हाथ में लिए बंदूक से फायर किया, वह भागा तो गोली उसके बायें हाथ में कंधे पर लगी। कमरे के दरवाजे के सामने बरामदे में गोली उसे लगी थी। वह भागकर कमरे के अंदर घुस गया। दूसरी गोली दरवाजे के पल्ले पर लगी थी, तब वह कमरे के अंदर था। दरवाजा बंद कर लिया था। खून के निशान दरवाजे के पल्ले में आज भी लगे हैं। वह टीशर्ट पहने था। खून काफी गिरा था। टीशर्ट पर काफी खून लगा था। उसके हल्ला गोहार पर पप्पू मिश्र, माधुरी देवी, शिवम मिश्र, सोनी मिश्र, योगेन्द्र प्रसाद वर्मा, कमला प्रसाद वर्मा व अन्य तमाम लोग मौके पर आ गए थे, तब तक मुल्जिमान भाग गए थे।

1. आगे मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि दरोगाजी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया था और उसका बयान लिया था। न्यायालय पर उसका बयान अन्तर्गत धारा 164 सी०आर०पी०सी० अंकित किया गया था। गवाह को उसका बयान अन्तर्गत धारा 164(5) सी०आर०पी०सी० दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि यह उसका ही बयान है, उस पर उसका फोटो व हस्ताक्षर मौजूद हैं।

2. जिरह में साक्षी का कथन है कि घटना 3/4 मई 2014 की है। ढाई–तीन बजे रात का समय था। वह कमरे में लेटा हुआ था। उल्लेखनीय है कि तहरीर में वादिनी मुकदमा जो कि चोटहिल की पत्नी है ने छत पर लेटने की बात बताई है।

3. आगे जिरह में कथन किया है कि जिस कमरे में वह लेटा था उसकी लम्बाई व चौड़ाई वह नहीं जानता। इसी कमरे से सटा हुआ बरामदा है। बरामदे की भी लम्बाई व चौड़ाई वह नहीं जानता। इसी बरामदे से सटा हुआ आंगन है। आंगन की लम्बाई चौड़ाई उसे नहीं मालूम।

4. यह नितांत अस्वाभाविक है किसी व्यक्ति को अपने घर के आंगन की व बरामदे की लम्बाई व चौड़ाई न पता हो जो यह दर्शाता है कि साक्षी द्वारा सही बात न्यायालय से छिपाने का

प्रयास किया जा रहा है।

5. आगे जिरह में कथन किया है कि वह बरामदे में खड़ा था, तब उसे गोली लगी थी। आंगन व बरामदा जहाँ मिलता है वहीं पर छोटकू खड़े थे। ननकू मेन दरवाजे पर खड़े थे। गोली लगने के बाद वह भागकर कमरे में अन्दर गया था। जब वह कमरे का दरवाजा एक हाथ से बंद कर रहा था तब दूसरी गोली चली थी, जो दरवाजे पर पल्ले पर लगी थी। पहली गोली लगने पर ही वह बड़े जोर से चिल्लाया था। जब तक वह बरामदे से दौड़कर कमरे में आया व दरवाजा अंदर से बंद किया तब तक उन्होंने दूसरा फायर कर दिया।

6. आगे जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 164 सी०आर०पी०सी० पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो उसने कहा कि ये बयान सही है लेकिन इसके पहले उसने अभी जो बयान दिया है कि गोली लगने के बाद वह कमरे के अन्दर चला गया था और काफी लोग आ गए थे, ये बात उसने अपनी पत्नी के बताने पर बताई है। अपनी पत्नी के बताने पर बताया है कि किवाड़ पर गोली लगने के बाद उसके भाई, भाभी, उनके बच्चे, योगेन्द्र वर्मा व कमला वर्मा व बहुत से लोग मौके पर आ गए थे। यह भी अपनी पत्नी के बताने पर बताया है कि मोटरसाइकिल कमला प्रसाद वर्मा चला रहे थे। उसके भाई पीछे बैठे थे, वह बीच में बैठा था।

7. इस प्रकार साक्षी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने मुख्य बातें अपनी पत्नी के कहने पर बताई हैं जो स्वाभाविक रूप से अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाती हैं और साक्षी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० एवं विचारण के दौरान दिए गए बयान की भिन्नता को स्पष्ट करती हैं।

8. आगे जिरह में कथन किया है कि खून लगे गमछे की बात उसने सभी अधिकारियों, विवेचक को बताई थी और गमछा उन्हें दिखाया भी था। खून लगा गमछा दरोगाजी वकील पाण्डेय ने घटना के करीब दो साल बाद मुझसे लिया था। तब तक वह खून लगा गमछा वह बक्से में रखे हुए था।

9. आगे जिरह में कथन किया है कि गोली लगने के करीब सात–आठ दिन के बाद दरोगा टी०पी०यादव ने उसका बयान उसे थाने पर ले जाकर लिखा था। टी०पी०यादव जब मौका मुआयना करने आये थे, तब वह जिला अस्पताल भिनगा में था। जिला अस्पताल भिनगा में वह करीब सात आठ दिन तक रहा था। जिला अस्पताल में टी०पी०यादव उसका बयान लेने आए थे या नहीं, उसे याद नहीं है। टी०पी०यादव ने उसके मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था। फिर बाद में विवेचना सूरज प्रसाद SI ने किया था। विवेचक सूरज प्रसाद मौका मुआयना करने आए थे। घटना के कितने दिन बाद आए थे, यह उसे नहीं पता है। उन्होंने उसका बयान लिया था। सूरज प्रसाद दरोगाजी को उसने बताया था कि घटना के समय वह कमरे में सो रहा था, छत पर नहीं। अगर उन्होंने उसके बयान में यह नहीं लिखा है, तो इसकी कोई वजह वह नहीं बता सकता। सूरज प्रसाद को उसने बताया था कि घटना के बाद वह बेहोश हो गया था। अगर उन्होंने

यह बात नहीं लिखी है, तो इसकी कोई वजह वह नहीं जानता। उसके शरीर पर दो चोटें आईं थी। एक बायें हाथ में कंधे के नीचे, दूसरी बाएं सीने पर कंधे के पास। इन दो चोटों के अलावा उस दिन और कोई चोट उसे नहीं आई थी। ये दोनों चोटें गोली की थी, लाठी डण्डे की नहीं थी। उसका एक्स–रे दो–तीन बार हुआ था। कंफर्म उसे याद नहीं है कि दो बार एक्स रे हुआ था या तीन बार। मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी चोटों की डाक्टरी एक बार हुई थी। लखनऊ में उसका डिजिटल एक्स–रे हुआ था। एम०आर०आई० हुई थी यह नहीं उसे नहीं पता। लखनऊ में सर्जन ने उसका आपरेशन नहीं किया था। उसने अपने हाथ से धातु के टुकड़े को निकलवाने के लिए दरख्वास्त दिया था यह नहीं, उसे नहीं याद है। उसके हाथ से गोली डाक्टर ने निकाली थी यह नहीं, उसे याद नहीं है। SI सूरज प्रसाद ने भी फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। गवाह को कागज सं० बी10/6 दिखाया गगया तो उसने कहा कि उसकी पत्नी ने दिनांक 06.08.2015 को यह प्रार्थना पत्र डी०आई०जी० महोदय को दिया था, इसमें गमछे की बात नहीं लिखी है। दरोगा ओम प्रकाश सिंह ने इस घटना की विवेचना की थी। ओ०पी०सिंह ने उसका बयान उसके घर पर आकर लिया था। और उसी दिन कई अन्य लोगों का भी बयान लिया था। उसे नहीं मालूम कि ओ०पी०सिंह ने टेलीफोन पर उसका बयान लिया था यह नहीं। ओ०पी०सिंह ने जब उसका बयान लिया था तब उसने उन्हें मौका दिखाया था, उन्होंने उसके सामने नक्शा नजरी बनाया था।

10. आगे जिरह में कथन किया कि इस मुकदमें की विवेचना चार दरोगाओं ने की थी। चारों विवेचकों ने मौके पर घर पर आकर नक्शा नजरी बनाया था। सूरज प्रसाद SI, ओ०पी० सिंह दरोगाजी ने उसके सामने नक्शा नजरी नहीं बनाया था। उसे याद नहीं है कि विवेचकों को उसने टूटा हुआ ताला दिखाया था या नहीं। उसके शरीर पर जो चोटें आईं थी, वह एक ही हथियार से आई थी।

11. इस प्रकार साक्षी ने स्वीकार किया है कि इस मामले में विवेचक इस मामले कि विवेचना के दौरान कई विवेचक बदले गए थे तथा प्रथम विवेचक टी०पी०यादव एवं द्वितीय विवेचक सूरज प्रसाद द्वारा घटना सही न पाते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी और बाद में जब उसने खून लगा हुआ गमछा दिया था तब पुनः विवेचना की गई और आरोप पत्र प्रषित किया गया।

12. उल्लेखनीय है कि तथाकथित खून लगे हुए गमछे के सम्बन्ध में कोई भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला कि रिपोर्ट अभियोजन द्वारा दाखिल नहीं की गई है।

30– इस स्तर पर चोटहिल अनिल कुमार मिश्रा की चोटों के सम्बन्ध में चिकित्सक साक्षीगण पी०डब्लू० 7 डॉ० रामगोपाल जिनके द्वारा चोटहिल की चोटों का मुआयना दिनांक 04.05.2014 को किया गया था एवं चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू० 4 डॉ० मुकेश जिनके द्वारा चोटहिल की एक्स–रे रिपोर्ट दिनांक 28.05.2014 को तैयार की गई थी के बयान व जिरह का अवलोकन एवं उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

30क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में पी0 डब्लू0–7 **डॉ० राम गोपाल**,

वर्तमान तैनाती वरिष्ठ परामर्शदाता, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 04.05.2014 को वह E.M.O. के पद पर संयुक्त जिला चिकित्सालय श्रावस्ती में तैनात था। उस दिन प्रातः 07.10 बजे सुबह उसने चोटहिल अनिल कुमार मिश्र पुत्र श्री केसरी कुमार मिश्रा उर्फ केशवराम निवासी गिलौला कस्बा श्रावस्ती जिसे होमगार्ड रामदर्शन पाठक द्वारा लाया गया था, का चिकित्सीय परीक्षण किया, जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गईं–

1) फटा हुआ घाव 4cmx2.5cm हड्डी तक गहरा बांई भुजा पर कंधे से 5cm नीचे था। यह घाव तिरछा तथा ऊपर की ओर था। किनारा फटा हुआ था रक्तस्राव हो रहा था। घाव के पास blackning मौजूद थी। चोट को जेरे निगरानी पर रखा गया तथा X–ray हेतु संदर्भित किया गया।

2) खरोंच 03cmx0.5cm के आकार में बाएं कंधे पर आगे की ओर था। चोट सं० 2 में लालिमा मौजूद थी।

3) खरोंच 02x0.5cm बाएं कंधे के ऊपर था। चोट सं० 3 में लालिमा मौजूद थी।

सभी चोटें ताजी थी। चोटहिल को भर्ती कर लिया गया था।

चोट सं० 1 किसी आग्नेयास्त्र (fire arm) से आना सम्भव थी।

पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–7/4 चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है प्रमाणित करता है। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–7/3 डाक्टरी रिपोर्ट द्वारा मेडिकल बोर्ड प्रमाणित करता है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।

पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–7/5 X–ray रिपोर्ट प्रमाणित करता है। इस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।

पत्रावली में संलग्न x–ray प्लेट पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1, 2, 3, 4, 5 व 6 डाला गया।

चोट सं० 1 गम्भीर थी उससे मृत्यु होना सम्भव है।

30 ख– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि चोट सं० 2 व 3 साधारण प्रकृति की थी। यह उसे याद नहीं है कि मजरूब जब उसके समक्ष आया तब उसे होश था कि नहीं। मजरूब जब उसके समक्ष लाया गया तब उसने उसका कपड़ा नहीं देखा था। केवल उसकी चोटों का परीक्षण किया। मजरूब को जब उसके समक्ष लाया गया तो उसके चोट सं० 1 पर कोई पट्टी नहीं थी, कोई दवा भी नहीं लगी थी।

चोट सं० 1 से हो रहा रक्तस्राव कुछ कालापन लिये हुए रक्त का स्राव हो रहा था। वह यह स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि चोट सं० 1 किस प्रकार के fire arm से आ सकती है। यह बैलिस्टिक एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि चोट 1 किस बोर के fire arm से आ सकती है। उसने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट से आयुध के बारे में लिया जाए कि किस आग्नेयास्त्र से आई है। चोट सं० 1 को बैलिस्टिक रिपोर्ट (एक्सपर्ट) को इसलिए नहीं भेजा

क्योंकि X–ray की रिपोर्ट को बाड Matelic shadow स्पष्ट होने से आग्नेयास्त्र की पुष्टि की जा सकती है। दिनांक 04.05.2014 को उसकी रात आठ बजे से सुबह आठ बजे की इमर्जेंसी ड्यूटी थी।

मजरूब उसके समक्ष एम्बुलेंस से लाया गया था यहां होमगार्ड रामदर्शन पाठक स्वयं लेकर आए थे उसे ध्यान नहीं है।

यह उसे याद नहीं है कि विवेचक ने उसका बयान लिया था कि नहीं।

चोट सं० 1 के घाव को साफ करते समय उसमें कोई गोली नहीं पाई गई थी।

प्रदर्श क–6 मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। वह उस बोर्ड में नहीं था। प्रदर्श क–7 पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं है।

1. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मेडिकल बोर्ड कि रिपोर्ट दिनांकित 30.09.2014 को प्रदर्श क–6 एवं मेडिकोलीगल एक्स–रे रिपोर्ट दिनांकित 30.09.2014, प्रदर्श क–7 पर अपने हस्ताक्षर न होना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेडिकोलीगल रिपोर्ट दिनांकित 30.09.2014 प्रदर्श–6 एवं मेडिकोलीगल एक्स–रे रिपोर्ट दिनांकित 30.09.2014, प्रदर्श क–7 विधि अनुसार साबित नहीं है।

वस्तु प्रदर्श 6 X–ray प्लेट में metalic shadow मौजूद है व हड्डी फ्रेक्चर भी आया है।

2. सामान्य तौर पर कंधे पर आई Bullet की चोट से मृत्यु होना सम्भव नहीं है। x–ray प्लेट वस्तु प्रदर्श 6 में धातु की छवि केवल पाई गई है कोई धातु अथवा गोली नहीं पाई गई और न ही उसे चोट की सफाई व ड्रेसिंग के दौरान कोई गोली मिली। मरीज भर्ती करने के बाद उसने मरीज को संदर्भित कर दिया था। उसके द्वारा मरीज का इलाज नहीं किया गया। मजरूब को थाने से होमगार्ड द्वारा उसके समक्ष लाया गया था, मजरूब किसी स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा रिफर किया गया था कि नहीं वह नहीं बता पाएगा।

चोट सं० 2 व 3 साधारण खरोच थी जो किसी कठोर वस्तु या जगह पर गिरने से भी आ सकती है।

यह सही है कि चोट सं० 1 मजरूब के किसी नाजुक अंग पर नहीं थी।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित चोटहिल अनिल कुमार मिश्रा द्वारा कथन किया गया है कि उसे आई दोनों चोटें गोली से आईं थीं जबकि उपहति आख्या पर पाई गई चोट सं० 2 व 3 गोली अथवा फायर आर्म से आना प्रथम दृष्टया सम्भव नहीं है। साक्षी पी०डब्लू० 7 डॉ० रामगोपाल द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसे चोट की सफाई व ड्रेसिंग के दौरान कोई गोली नहीं मिली थी।

एक्स–रे प्लेट वस्तु प्रदर्श क–6 में पाई गई धातु कि छवि के सम्बन्ध में स्पष्ट कथन किया है कि केवल छवि पाई गई है कोई धातु अथवा गोली नहीं पाई गई है।

4. चिकित्सक द्वारा मुख्य परीक्षा में यह भी बयान दिया गया है कि चोट सं० 1 का घाव तिरछा व ऊपर की तरफ है। अभियोजन कथानक से यह परिलक्षित होता है कि तथाकथित रूप से

गोली मारे जाते समय चोटहिल एवं फायर करने वाले दोनों व्यक्ति खड़े थे, अथवा इसी अवस्था में चोट सं० 1 तिरछी व ऊपर की तरफ न होकर सीधा होना चाहिए था।

31 क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में पी0 डब्लू0–4 **डॉ० मुकेश मातनहेलिया**, वर्तमान तैनाती अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 28.05.2014 को वह अपर मुख्यचिकित्साधिकारी/रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन चोटहिल अनिल कुमार मिश्र पुत्र केसरी कुमार मिश्र उम्र लगभग 20 साल थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती की एक्स–रे रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गयी थी जिसमें बाईं Scapula हड्डी के Acromion process का fracture एवं उसी के पास 2.5x2.5 cm माप की धात्विक वस्तु Gun Shot के कारण भी होना सम्भव है। पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए 7/6 उसके लेख व हस्ताक्षर में है प्रमाणित करता है। उस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।

31 ख– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि एक्स–रे टेक्नीशियन एक्स–रे करके उसके समक्ष लाता है तब वह एक्स–रे रिपोर्ट तैयार करता है। एक्स–रे, एक्स–रे टेक्नीशियन द्वारा किया गया। मजरूब की चोटें उसके द्वारा नहीं देखी गयीं। उसने केवल एक्स–रे प्लेट देखकर एक्स–रे रिपोर्ट तैयार की। एक्स–रे प्लेट में दिखने वाली धात्विक छवि किसी धातु की है यह बताना उसके लिए सम्भव नहीं है। चूँकि मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण उसके द्वारा नहीं किया गया है इसलिए चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक ही बता पाएँगे कि धात्विक छवि की चोट स्वनिर्मित हो सकती है यह नहीं। वह यह नहीं बता पाएगा कि किन–किन परिस्थितियों में इस तरह की वस्तु शरीर में हो जाना सम्भाव्य है। यह fracture किसी सरिया अथवा नुकीली/कुंद चीज (ठोस) पर गिरने से भी आ सकती है।

32– इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि चोटहिल अनिल कुमार की एक्स–रे रिपोर्ट में कोई भी गोली अथवा धातु नहीं पाई गई है।

उल्लेखनीय है कि स्वयं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–6 दिनांकित 08.05.2014 में चोटहिल के शरीर में Fracture of Acronion of left scapula with adjacent margins irregular, Metallic opacity about 2.5cmx2.5cm आकार की पाई गई।

चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू० 4 का कथन है कि यह fracture किसी सरिया अथवा नुकीली/कुंद चीज (ठोस) पर गिरने से भी आ सकती है।

33– विधि व्यवस्था **मुरलीधर शिवराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए०सी०सी० 2015 (88) पेज 350** उच्चतम न्यायालय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि चिकित्सक रिपोर्ट साक्ष्यों की सत्यता परखने में सहायक हो सकती है।

34– यह भी उल्लेखनीय है कि तथाकथित रूप से मुल्जिमान द्वारा चोटहिल के ऊपर दो फायर किए गए परन्तु घटनास्थल का मुआयना करते समय घटनास्थल से अथवा कथित रूप से

दरवाजे में फंसी कोई भी गोली अथवा छर्रा विवेचक द्वारा नहीं पाया गया है।

35– फायर आर्म से आई चोटों में दो प्रकार के घाव पाए जाते हैं, Entry wound and Exit wound. यदि गोली अथवा छर्रा शरीर के आर पार हो जाता तब दोनों प्रकार की चोटें शरीर में पाई जाती हैं और यदि गोली अथवा छर्रा शरीर में धंसा रह जाता है तब मात्र Entry wound पाया जाता है और ऐसी अवस्था में घाव में गोली अथवा छर्रा घाव में पाया जाना चाहिए। चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू० 7 द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि चोटहिल के चिकित्सीय परीक्षण के समय घाव में कोई गोली मिले और एक्स–रे प्लेट में केवल छवि पाई गई थी, कोई गोली नहीं पाई गई थी।

36 क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में पी0 डब्लू0–8 **मेवालाल,** से०नि० HCP ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 04.05.2014 को वह थाना गिलौला के कार्यालय में तैनात था। उस दिन वादिनी चन्दा देवी पत्नी अनिल कुमार मिश्रा निवासी गिलौला थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती ने अपने पति अनिल कुमार के साथ आकर एक किता तहरीर बनाम ननकू प्रसाद वर्मा व छोटक प्रसाद वर्मा के विरुद्ध दिया था जिसके आधार पर उसके द्वारा मु०अ०सं० 884/2014 अन्तर्गत धारा 452, 307 भा०द०सं० पंजीकृत कर नकल वादिनी को दिया और डाक्टरी मेमो बनाकर डाक्टरी व दवा हेतु सी०एच०सी० गिलौला रवाना किया। तहरीर के आधार पर चिक उसके द्वारा किता की गयी जो पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–4/1 तथा उसी मुकदमें में की कायमी जी०डी० कागज सं० बी–11/16 उसके लेख व हस्ताक्षर में है पहचान करता है। उस पर क्रमशः **प्रदर्श क–8** व **क–9** डाला गया। मुकदमें की सूचना उच्चाधिकारियों को देकर विवेचना ठाकुर प्रसाद यादव एस०आई० के सुपुर्द की गयी थी, विवेचक ने उसका बयान लिया था।

36 ख– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि चिक एफ०आई०आर० उसके हस्तलेख में है चिक में घटना की अंकित तारीख 04 वाली बीती रात मानी जाए। वादिनी चंदा देवी तहरीर लेकर अपने पति के साथ 03.50 ए०एम० पर आई थी। ए०एम० व पी०एम० समय के साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे यहाँ 24 घण्टे का अंकन समय होता है। वादिनी मुकदमा हमारे कार्यालय पर कितने देर तक रुकी यह जानकारी है लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। वह आज अपने साथ डाकबही लेकर नहीं आया है जिससे यह पता चले कि एफ०आई०आर० सी०ओ० पेशी को किस तिथि को भेजी गई। चिक एफ०आई०आर० में रिपोर्ट के अंत में सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा लगवाना चाहए, उसने नहीं लगवाया है, क्योंकि उसके यहाँ नहीं लगवाया जाता था तो उसने भी नहीं लगवाया। पत्रावली में मजरूबी चिट्ठी नहीं लगी है तो वह उसकी वजह नहीं बता पाएगा। उसने मजरूबी चिट्ठी मजरूब की चोटों को देख कर बनाया था। ज्यादा समय हो जाने के कारण उसे याद नहीं है कि मजरूब को चोटें कहां कहां आईं थी। एफ०आई०आर० दर्ज करने का उसे अधिकार है, उसने किसी उच्च अधिकारी से आदेश नहीं लिया था। कागज सं० बी–11/16

नकल रपट पर उसके हस्ताक्षर नहीं है जो छाया प्रति है वही पत्रावली में संलग्न है। उसे उस समय याद नहीं है कि मजरूब जब उसके सामने आया था तब कौन सा कपड़ा पहने था।

पी0 डब्लू0–8 मात्र एक औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा चिक एफ०आई०आर० एवं कायमी जी०डी० को प्रमाणित किया गया है।

37 क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में पी0 डब्लू0–9 निरीक्षक **ओम प्रकाश सिंह**, वर्तमान तैनाती प्रभारी क्राइम ब्रांच बस्ती ने जरिये विडियो कान्फ्रेंसिंग अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2016 को वह को० देहात जनपद बहराइच में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उस दिन SHO महोदय के द्वारा अभियोग उपरोक्त की विवेचना पूर्व विवेचक श्री राम प्रसिद्ध पाण्डेय के स्थानान्तरण के पश्चात उसे सौंपी गयी थी। विवेचना ग्रहण कर उसने इस मुकदमे के प्रथम विवेचक उपनिरीक्षक ठाकुर प्रसाद यादव थाना गिलौला द्वारा किता किये गये पर्चो, पर्चा नं० 1 ता पर्चा नं० 8 का अवलोकन किया तथा उनके बाद उपनिरीक्षक सूरज प्रसाद थाना गिलौला के द्वारा किता किये गये पर्चों, पूरक पर्चा संख्या 1 ता 28 का अवलोकन कर उसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष गिलौला वकील पाण्डेय द्वारा किता किये गये पूरक पर्चा संख्या 29 ता 34 का अवलोकन कर तत्कालीन उपनिरीक्षक थाना को० देहात राम प्रसिद्ध पाण्डेय द्वारा किता किये गये पूरक पर्चा नं० 35 ता 38 का अवलोकन कर विवेचना आदेश का अंकन सी०डी० में करते हुये पूरक पर्चा नं० 39 दिनांक 01.07.2016 को किता किया। दिनांक 04.07.2016 को पूरक पर्चा नं० 40 किता किया, जिसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट मंगवाने हेतु विशेष वाहक को निर्देशित किया तथा वादिनी मुकदमा के घर जाकर वादिनी मुकदमा व उसकी जेठानी श्रीमती माधुरी देवी से मिलकर दोनों लोगों का मजीद बयान अंकित किया। दिनांक 08.07.2016 को पूरक पर्चा नं० 41 किता किया जिसमें मजीद बयान चोटहिल अनिल कुमार मिश्रा व गवाह मनीष कुमार, योगेन्द्र प्रसाद वर्मा का बयान अंकित कर तथा चोटहिल के डाक्टरी रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा गवाह कमला प्रसाद वर्मा का बयान अंकित किया। दिनांक 11.07.2016 को पूरक पर्चा नं० 42 किता किया जिसमें भिनगा जाकर मेडिकोलीगलकर्ता डा० रामगोपाल व एक्स रे करने वाले डा० मुकेश मातनहेलिया का बयान अंकित किया तथा गिलौला वादिनी मुकदमा के घर जाकर मुकदमे के गवाह चोटहिल के भाई धर्मेन्द्र उर्फ पप्पू पाठक का बयान अंकित किया तथा चोटहिल अनिल कुमार मिश्रा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार कर मोहल्ले के लोगों से पूछताछ कर मौके पर लल्लन बिहारी पाठक व राममनोरथ का बयान अंकित किया। अब तक की तमाम विवेचना के आधार पर नामजद आरोपीगण ननकू प्रसाद वर्मा व छोटकू प्रसाद वर्मा के विरूद्ध धारा 452, 307 I.P.C के अपराध का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके घरों पर तलाश किया गया किन्तु अभियुक्त नहीं मिले। दिनांक 12.07.2016 को पूरक पर्चा नं० 43 किता किया, जिसमें अभियुक्तों के विरूद्ध दबिश दी गयी परन्तु वे नहीं मिले और पता चला कि वे लुक–छिप कर घर आते जाते हैं तब अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय

श्रीमान सी०जे०एम० महोदय श्रावस्ती के न्यायालय पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु N.B.W आदेश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। दिनांक 15.07.2016 को पूरक पर्चा नं० 45 किता किया, जिसमें अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गोण्डा रोड पर दोनक्का तिराहे पर गिरफ्तार कर उनका बयान अंकित कर अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय से रिमाण्ड की याचना की। उसी दिन पूरक पर्चा नं० 45A किता कर अभियुक्तों को न्यायालय सी० जे०एम० महोदय श्रावस्ती पर प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध रिमाण्ड प्राप्त कर जिला कारागार बहराइच में दाखिल कराया। दिनांक 17.07.2016 को पूरक पर्चा नं० 46 किता किया, जिसमें FIR लेखक, हे०का० मेवालाल का बयान थाना कार्यालय गिलौला जाकर अंकित किया। अब तक की तमाम विवेचना व पूर्व विवेचकों द्वारा किता किये गये पर्चों का अवलोकन, निरीक्षण घटनास्थल व बयान गवाहों, बयान वादिनी मुकदमा व चोटहिल के आधार पर अभियुक्तगण ननके प्रसाद वर्मा उर्फ ओमप्रकाश वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद व छोटकू प्रसाद उर्फ विजय कुमार पुत्र कमरू उर्फ चेतराम वर्मा निवासी कस्बा व थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती के विरूद्ध धारा–452, 307 I.P.C का अपराध बखूबी प्रमाणित पाते हुये अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 82/2016 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–A6/1, A6/2 नक्शा नजरी को देखकर कहा कि ये दोनों नक्शा नजरी क्रमशः पूर्व विवेचक ठाकुर प्रसाद यादव व सूरज प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है, जिन्हें वह प्रमाणित करता है जो उसे दौरान विवेचना प्राप्त हुयी थी जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–10** व **प्रदर्श क–11** अंकित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या A6/3 नक्शा नजरी व कागज संख्या A5/1 आरोप पत्र को देखकर कहा कि ये दोनों प्रपत्र उसके द्वारा तैयार किये गये हैं, जिन पर उसके हस्ताक्षर बने हैं, जिन्हें वह प्रमाणित करता है जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–12** व **प्रदर्श क–13** अंकित किया गया।

37 ख– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की कापी इस समय उसके समक्ष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी ने यह तथ्य लिखाया है कि "मैं अपने परिवार बच्चों सहित––––––घात लगाकर विपक्षीगण अन्दर बैठे थे।" का अवलोकन उसके द्वारा किया गया है। वादिनी मुकदमा चन्दा देवी का मजीद बयान उसके द्वारा दिनांक 04.07.2016 को अंकित किया गया। वादिनी मुकदमा के 161 सी०आर०पी०सी० के मजीदी बयान में कहा है कि वह अपने पति तथा बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी यही बात उससे वादिनी मुकदमा ने मजीदी बयान में दिया था। वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में छत के ऊपर सोये हुये होने की बात व अपने 161 सी०आर०पी०सी० के मजीदी बयान में कमरे के अन्दर सोने की बात बतायी गयी थी, वादिनी मुकदमा के कथन में हुये इस विरोधाभास के संबंध में उसने वादिनी से कोई पूछताछ नहीं की। इस विरोधाभास के संबंध में पूछताछ न करने की कोई वजह वह नहीं बता पाएगा। उसके द्वारा वादिनी मुकदमा से यह नहीं पूछा गया कि मुल्जिमान आपके घर की बाउंड्री के अन्दर कैसे घुसे। वादिनी मुकदमा द्वारा तहरीर में लिखाया गया है कि

बीती रात उसके घर की बाउंड्री का ताला तोड़कर मुल्जिमान घर के अन्दर घुस आये व जान से मारने की नियत से घर के अन्दर घुस कर बैठे हैं, इस संबंध में निरीक्षण के समय उसके द्वारा वादिनी मुकदमा से टूटे हुये ताले को उसने नहीं माँगा था। चूँकि घटना का निरीक्षण उसके द्वारा घटना के करीब डेढ–दो साल बाद किया गया था इसलिये उसके द्वारा टूटे हुये ताले को नहीं माँगा गया था। उसके द्वारा पर्चा नं० 1 दिनांक 04.05.2014 जो कि विवेचक ठाकुर प्रसाद द्वारा किता किया गया था, का अवलोकन किया गया था। "मौके पर वादिनी से टूटा हुआ ताला को माँगा गया तो नहीं दिखायी गेट पर ताला तोड़ने का कोई निशान भी नहीं बना है तथा मौके के निरीक्षण से खून आदि के कोई छींटे या खून मौके पर नहीं गिरा है।" केस डायरी में इस बात का अवलोकन उसके द्वारा किया गया था। चूँकि विवेचना उसको दो वर्ष बाद मिली थी इसलिये मौके पर उसके निरीक्षण के समय उक्त चीजें नहीं मिलीं। वादिनी मुकदमा द्वारा दूसरी फायरिंग में दरवाजे पर बने छिद्र को दिखाया गया था। दरवाजे पर बने छिद्र का उल्लेख केस डायरी में किया गया है छिद्र की नाप का उल्लेख नहीं है। दूसरी फायरिंग में दरवाजे पर बने छिद्र के बारे में कि ये छिद्र गोली के हैं या किसी नुकीली चीज से खुरेदा गया है, उसने कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं किया। उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया है किन्तु वीडियोग्राफी नहीं की थी। वीडियोग्राफी करने की आवश्यकता नहीं लगी थी। उसके द्वारा जो बयान वादिनी का अंकित किया गया उसमें वादिनी ने अपने पति के विक्षिप्त होकर गिरने का कोई बयान नहीं बताया था। FIR व वादिनी के 161 Cr.p.c के बयान के विरोधाभास के बारे में उसने पूछताछ नहीं की। वादिनी ने जो अपने बयान में बताया वही उसने लिखा। विवेचक ठाकुर प्रसाद द्वारा मजरूब का बयान लिया गया था। उस मजरूब के बयान का अवलोकन उसके द्वारा किया गया था। मजरूब द्वारा बताया गया था कि खेत में पानी जाने को लेकर विवाद था। मजरूब के बयान का उसके द्वारा अवलोकन किया गया था। पृष्ठ संख्या 4 पर पूर्व विवेचक द्वारा पूछा गया था कि आप वास्तव में बतायें कि चोट कैसे व किस स्थान पर लगी है उसने जो उत्तर दिया था उसका उसने अवलोकन किया था। उसके द्वारा इस उत्तर के अवलोकन के बाद सत्यता को परखने के लिये इस बिन्दु पर किसी अन्य साक्षी का बयान नहीं लिया गया था। पूर्व विवेचक सूरज प्रसाद द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन उसने किया था। मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित रिपोर्ट दिनांक 30.09.2014 का अवलोकन उसने किया था। अपर निदेशक परिवार कल्याण स्वास्थ्य देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2014 को पारित किया गया था कि सर्जन द्वारा बोर्ड गठित कराकर आपरेशन कराकर अन्दर से धातु निकलवाने के संबंध में उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। अपर निदेशक चिकित्सा विधि विशेषज्ञ ए०पी० तिवारी ऐशबाग लखनऊ का बयान उसके द्वारा नहीं लिया गया था। उसके द्वारा पूर्व विवेचक के पर्चों का अवलोकन किया गया था, डाक्टर द्वारा राय दी गयी थी कि कालर बोन में जो धात्विक छवि के टुकड़े दिखाये गये हैं उसे आपरेशन करवाकर निकलवाया जाये व घटना के समय पहने हुये कपड़े को कब्जे में लिया जाये जिससे साबित किया जा सके कि चोट कैसे लगी, इस संबंध में उसके

द्वारा मजरूब से कोई पूछताछ नहीं की गयी थी। पूछताछ न करने की वह कोई वजह नहीं बता सकता। उसके पूर्व विवेचक द्वारा वादिनी के 164 Cr.p.c के बयान का अवलोकन किया गया था, उस बयान का अवलोकन उसके द्वारा भी किया गया था। मजरूब के 164 Cr.pc के बयान के अवलोकन का जो पर्चा पूर्व विवेचक द्वारा दाखिल किया गया था उसका अवलोकन भी उसके द्वारा किया गया था। मजरूब के 164 Cr.pc का बयान एक गोली उसके बाँये बाँह के कन्धे के नजदीक आकर लगी थी होश मुझे जिला चिकित्सालय में सुबह साढ़े ग्यारह बजे आया था।" इस बयान का अवलोकन उसके द्वारा किया गया था। दिनांक 11.07.2016 को डा० रामगोपाल का बयान लिया था तब उसके द्वारा मजरूब की बेहोशी के संबंध में डा० से पूछताछ नहीं किया गया था। मजरूब ने उसे अपने दिये गये बयान में बेहोश होना नहीं बताया था इसलिये उसने डा० से पूछताछ नहीं की थी। डा० से उसने यह नहीं पूछा कि मजरूब की चोट प्राणघातक अंग पर है अथवा नहीं। उसने यह भी नहीं पूछा कि ऐसी चोट से मजरूब की मृत्यु हो सकती है अथवा नहीं। डा० से यह पूछताछ न करने की वह कोई वजह नहीं बता सकता है। उसके द्वारा मजरूब का बयान दिनांक 08.07.2016 को लिखा गया है। मजरूब द्वारा अपने मजीदी बयान में बताया था कि "दूसरा फायर उन लोगों ने किया जो दरवाजे के पल्ले में लगा है जिसका छेद आज भी दरवाजे पर बना हुआ है तथा आज भी मेरा खून दरवाजे के पल्ले पर लगा है।" मजरूब द्वारा जो यह बयान दिया गया उस समय उसने निरीक्षण किया तो पल्ले पर कोई खून लगा नहीं पाया था। मजरूब ने जो बयान दिया था वही लिखा गया है उस बयान में कुछ घटाया अथवा बढ़ाया नहीं गया है। मजरूब के मजीदी बयान दिनांक 08.07.2016 के पेज नं० 2 में लिखा है कि "मैंने दोनों को देखते ही चिल्लाया------घर के पीछे रहने वाले कमला प्रसाद व योगेन्द्र प्रसाद भी आ गये।" यही बयान मजरूब द्वारा दिया गया था, यही बयान उसने सत्यतापूर्वक लिखा है। मजरूब के FIR में घात लगाकर छिप कर बैठना बताया है तथा 161 Cr.p.c के बयान में दोनों को आँगन में खड़ा होना बताया है इस विरोधाभास के बारे में उसके द्वारा मजरूब से कोई पूछताछ नहीं की गयी। इस विरोधाभास के बारे में पूछताछ न करने की वह कोई वजह नहीं बता सकता। उसके द्वारा मजरूब के चोट लगे स्थान पर बँधे गमछे के बारे में जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था कोई पूछताछ नहीं की गयी थी, क्योंकि वह रिपोर्ट उसे नहीं मिली थी। मजरूब द्वारा घटना में पहने हुये कपड़े जिस पर गोली लगी थी उसको कब्जे में लेने के लिये उसके द्वारा प्रयास नहीं किया गया था। कपड़े को कब्जे में लेने का प्रयास न करने की वजह वह नहीं बता सकता। उसके द्वारा मुल्जिमान को दोनक्का तिराहा गोण्डा रोड पर जब पकड़ा गया तो घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि मुल्जिम ने घटना को स्वीकार नहीं किया था इस कारण हथियार बरामद नहीं किया। उसके द्वारा निरीक्षण घटनास्थल दिनांक 11.07.2016 को किया गया था। नक्शा नजरी में मजरूब के गेट को E स्थान से दर्शाया गया है जिसमें दरवाजे का पल्ला लगा है। मुल्जिमान के खड़े होने को A व B द्वारा दर्शाया गया है। नक्शे में A व B स्थान से E स्थान की दूरी उसके द्वारा नहीं दर्शायी गयी है। अभियुक्त को D स्थान से गोली मारना दर्शाया

गया है। मजरूब को X स्थान पर दर्शाया गया है। D स्थान से X स्थान की दूरी नक्शा नजरी में नहीं दर्शायी गयी है। नक्शा नजरी पर दूरी न दर्शाने की वजह वह नहीं बता सकता। उसके द्वारा Fair विवेचना के संबंध में सत्यता को परखने के लिये किसी बैलेस्टिक विशेषज्ञ से पूछताछ नहीं की गयी कि चोट नं० 1 फायर आर्म या किसी नुकीली जंग लगी सरिया पर गिरने से भी आ सकती है। बैलेस्टिक विशेषज्ञ से पूछताछ न करने की वह वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उसने वादिनी मुकदमा व चोटहिल के प्रभाव में आकर गलत विवेचना के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया था।

38– इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 9 ओम प्रकाश सिंह द्वारा स्वीकार किया गया है कि इस मामले कि विवेचना उससे पूर्व टी०पी० यादव एवं सूरज प्रसाद द्वारा की गई थी। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी प्रदर्श क–10 व प्रदर्श क–11 उसे विवेचना के दौरान प्राप्त हुई थी तथा उसके द्वारा नया नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 तैयार किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी प्रदर्श क–11 में पूर्व विवेचक द्वारा दरवाजे में पाए गए तथाकथित छिद्र के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि उक्त छिद्र किसी नुकीली वस्तु से बनाया गया है तथा किसी प्रकार का कालापन नहीं है।

39– पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के सम्यक् अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व विवेचक टी०पी०यादव एवं सूरज प्रसाद द्वारा जिन गवाहों के बयान के आधार पर घटना को सत्य न पाते हुए अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई, अन्तिम विवेचक ओ०पी०सिंह द्वारा उन बयानों का अवलोकन किया गया तथा अन्य किसी चश्मदीद का बयान अंकित किए बिना आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अन्तिम विवेचक द्वारा पूर्व में विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बयान के अतिरिक्त योगेन्द्र प्रसाद वर्मा, कमला प्रसाद वर्मा, लल्लन पाठक और राम मनोरथ का बयान लिया गया है, जिनमें से किसी ने भी घटना स्थल पर मौजूद होना और अभियुक्तगण के मौजूद होने का कथन विवेचना के दौरान नहीं किया है। कमला प्रसाद वर्मा स्वयं न्यायालय में भी परीक्षित हुए हैं और न्यायालय में भी बयान दिया है कि उन्होंने किसी भी मुल्जिम को गोली मारते या भागते हुए नहीं देखा है। यदि पूर्व में दो विवेचकों द्वारा की गई विवेचना के आधार पर अपराध का गठन होना नहीं पाया गया था तब उन्हीं गवाहों के मात्र अवलोकन के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जाना न तो तर्कसंगत है और न ही विधिसंगत है।

40– उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में पूर्व विवेचकों द्वारा दो बार विवेचना के उपरान्त अंतिम आख्या प्रेषित की गई थी तथा नए सिरे से विवेचना इस आधार पर प्रारम्भ की गई थी कि चोटहिल द्वारा विवेचक को खून लगा हुआ गमछा दिया गया था। उक्त गमछा तथाकथित रूप से घटना के दो साल बाद दिया गया और जो कि फटा हुआ था। पत्रावली पर गमछा कब्जा में लिए जाने के सम्बन्ध में प्रदर्श क–3 उपलब्ध है जो कि 10.09.2015 को कब्जे में लिया गया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुराना गमछा आधा कटा हुआ।

41– आधा कटा हुआ गमछा घटना के समय चोटहिल द्वारा पहनना अथवा यदि चोटहिल द्वारा पूरा गमछा पहना गया था तो आधा कटा हुआ गमछा जिस पर खून लगा हो दो वर्ष तक बक्से में सुरक्षित रखना संदेहास्पद है।

42– यह भी उल्लेखनीय है कि तथाकथित रूप से कब्जे में लिए गए गमछे और उस पर पाए गए रक्त के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई भी रिपोर्ट न तो विवेचना के दौरान प्राप्त की गई और न ही विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कि अग्रिम विवेचना किए जाने और अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए जाने का मुख्य आधार है।

43– इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। जिसके कारण उपरोक्त प्रश्नगत अभियुक्तगण ननकू प्रसाद वर्मा उर्फ ओम प्रकाश व छोटकू प्रसाद वर्मा उर्फ विजय कुमार भा०दं०सं० की धारा 307/34, 452 के आरोप में, दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **ननकू प्रसाद वर्मा** उर्फ ओम प्रकाश व **छोटकू प्रसाद वर्मा** उर्फ विजय कुमार को **भा0 दं0 सं0 की धारा 307/34, 452** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामे व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानतनामे व बंधपत्र अग्रिम 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 08.04.2026

निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 08.04.2026